



Uttarakhand Rural Drinking Water Supply & Sanitation Project

Swajal Samachar



Project Management Unit

Swajal Project

Department of Drinking Water & Sanitation, Uttarakhand

निःशुल्क वितरण हेतु



उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना

स्वजल समाचार



परियोजना प्रयन्धन इकाई

स्वजल परियोजना

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड



सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत की जा रही गतिविधियाँ



Activities under Sector Program



Contents



S.No.	Subject	Page No.
1.	Editorial	2
1.	Nirmal Bharat Abhiyan at a Glance	3
2.	A Case: Resolving Drinking Water Problem by Community Effort Village-Naini-Poundar	9
3.	Right to Information Act - 2005	15



Patrons

1. **Mr. S. Raju**
Principal Secretary
Drinking Water and Sanitation
Government of Uttarakhand
2. **Sowjanya**
Director
PMU-Swajal Project, Dehradun
3. **Mr. P.C. Khare**
Finance Controller
PMU-Swajal Project, Dehradun

Editorial Board

Mr. K.B. Shah

Unit Coordinator (M&E),
Chief Editor

Mr. Sanjay Pandey

Training & Communication Specialist,
Sub Editor

Dr. Ramesh Badola

Environment Specialist,
Sub Editor

Mr. Birendra Bhatt

Community Development Specialist
Sub Editor

Dr. Ranno Yadav

Women Development Specialist
Sub Editor

Mr. B.P.S. Bhandari

Typing & Design



Editorial

India In accordance with the spirit of 73rd amendment of the constitution to make effective, strong and strengthen of the decentralization of power and empowerment of the three-tier Panchayat Raj Institutions, Swajal Pariyojana endow water supply through community participation. The concept of Demand-Driven approach to select, plan, construct and manage the work of water supply scheme through involvement of community by adopting environmental improvement components like liquid waste management, environmental consciousness, women & backwards area development are subject of inclusion of a positive significant development of Swajal Samachar. This journal provides a forum for user to get familiarize/ participate on various levels of policy planning and arrangements under Drinking Water and Sanitation.

Uttarakhand is the state of hilly villages approximately 69.45 per cent of the total population is located in rural areas. Various Schemes have been started by the state government to provide the basic facilities to villagers. Till now 1297 Gram Panchayats have been saturated by 1394 drinking water supply schemes. Community participation is the basic theme of these schemes. Rural participation is being prioritized for the development of rural zones. The project, taking into consideration of sanitation & environmental cleanliness trained villagers to construct toilets and manage solid and liquid waste, consequently this made villagers aware about their health & hygiene benefits by adopting the ideal village policy and become determined to make their village Nirmal Gram.

We invite Children, Students, Teachers, Engineers, PRI Representative, Voluntary Organizations and the Public to send their suggestions, articles and comments for the next issue of this magazine. So that the efforts of awakened citizens of the State are done towards ensuring the sustainability of their drinking water supply and sanitation facilities system created by them in the state can be put forth.

From the Editor's Desk



Nirmal Bharat Abhiyan at a Glance

The Total Sanitation Campaign (TSC) is being renamed as “Nirmal Bharat Abhiyan” (NBA) Since 01 April, 2012. The objective is to accelerate the sanitation coverage in the rural areas so as to comprehensively cover the rural community through renewed strategies and saturation approach to make Nirmal Gram Panchayats.

1. OBJECTIVES OF NBA:

- a) To bring an improvement in the general quality of life in the rural areas.
- b) To accelerate sanitation coverage in rural areas to achieve the vision of Nirmal Bharat by 2022 with all gram Panchayats in the country attaining Nirmal status.
- c) Motivate communities and Panchayati Raj Institutions promoting sustainable sanitation facilities through awareness creation and health education.
- d) To cover the remaining schools not covered under Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) and Anganwadi Centers in the rural areas with proper sanitation facilities and undertake proactive promotion of hygiene education and sanitary habits among students.
- e) Encourage cost effective and appropriate technologies for ecologically safe and sustainable sanitation.
- f) Develop community managed environmental sanitation systems focusing on Solid and Liquid Waste Management for overall cleanliness in the areas.

2. IEC ACTIVITIES:

A national communication strategy framework has been developed by Government of India giving emphasis on Inter Personal Communication (IPC) at the grassroots level. The states are to evolve their own strategy using folk media, mass media and also outdoor media like; wall painting, hoarding etc. The IEC should also focus on health and hygiene practices and environmental sanitation aspects.

3. CAPACITY BUILDING:

This component is for training of UWSSC/ VWSC and PRI Members, Block and District functionaries and Grass root functionaries like; ASHA and other health, education and related functionaries, Anganwadi workers etc. SHGs can be trained



in trades such as masonry work, brick-marking and plumbing etc as also for awareness raising activities. NGOs/ CBOs of repute can be engaged for this activity. State Resource Centers and Regional/District Resource Centers should be identified for conducting such training.

Capacity Building funding will be in the ratio of 80:20 between GoI and the State Governments and will be limited of 2% of the IEC budget.

4. CONSTRUCTION OF INDIVIDUAL HOUSEHOLDS LATRINES:

A duly completed households sanitary latrine shall comprise of a Toilet Unit including a super structure. The programme is aimed to cover all the rural families. Incentive as provided under the scheme may be extended to all Below Poverty Line (BPL) Households and Above Poverty Line Households (APL) restricted to SCs/ STs, small and marginal farmers, landless labourers with homestead, physically handicapped and women headed households. The construction of households toilets should be undertaken by the households itself and on completion and use of the toilet, the cash incentive can be given to the household in recognition of its achievement.

The incentive amount to Below Poverty Line (BPL) household/identified APLs for construction of one unit of IHHL shall be ₹ 4600.00 (₹ 5100.00 for difficult and hilly areas) The central share out of this shall be ₹ 3200.00 (₹ 3700.00 in case of hilly and difficult areas) and State Government share shall be ₹ 400.00 Minimum beneficiary share shall be ₹900.00 in cash or labour. State Government is allowed the flexibility to provide higher incentive for a household toilet, of the same or higher unit costs from their own funds. All houses constructed with the central or / and state assistance should invariably have suitable.

APL families not covered by the above incentives will take up construction of the household latrines on their own through motivation The IEC activities will provide comprehensive coverage to all the families in the GP without exceptions. APL families facing cash crunch may access the revolving fund as outlined in the guidelines.

Construction of bucket latrines is not permitted in the rural areas. The existing bucket latrines, if any, should be converted to sanitary latrines and the sharing pattern for incentive for the targeted beneficiaries shall be identical to that of construction of individual house hold latrines.



5. COMMUNITY SANITARY COMPLEX:

Maximum unit cost prescribed for a Community sanitary complex is up to ₹ 2 Lakh. Sharing pattern amongst Central Government, State Government and the community is in the ratio of 60:30:10. The community contribution, however, can be made by the Panchayat out of its own resources, from grants of the Thirteenth Finance Commission or from any other fund of the State duly permitted by it.

6. SCHOOL TOILETS:

Toilets in all types of Government Schools should be constructed. Emphasis should be given to toilets for Girls in Schools. Toilet should provide access opportunity to children with special needs. A toilet unit consists of a toilet and minimum of two urinals. Separate toilet units for girls and boys should be provided in all co-educational schools, which are to be treated as two separate units and each unit is entitled to Central assistance. The number of toilet units to be constructed should be adequate to meet the requirements of the school as per the strength of the students attending the school. State/UT Governments, Parent-Teachers Association and Panchayats are free to contribute from their own resources cover and above the prescribed amount.

The Central assistance per unit will be restricted to 70 percent for a unit cost of ₹ 35000.00/- (₹ 38500.00 in case of hilly and difficult areas). Funding for School Sanitation in a NBA Project provided by the Central and State Government in the ratio of 70:30.

7. ANGANWADI TOILETS:

- (a) In all the Anganwadis, which are in Government buildings, baby friendly toilets should be constructed from the NBA funds provided.
- (b) In those Anganwadis, which are in private buildings, the owner must be asked to construct the toilet as per design, and he/she may be allowed to charge enhanced rent for the building to recover the cost of construction.
- (c) Alternatively, the toilet may be constructed from revolving fund component under the NBA and, suitable deductions made from the monthly rental paid to the owner to recover the cost over a period of time.

Unit cost of a toilet shall be up to ₹8000.00 (₹10000.00 in case of hilly and difficult areas) for each Anganwadi in the rural areas. Financial assistance to be



given by Government of India will be restricted to ₹5600.00 (₹7000.00 in case of hilly and difficult areas.) Additional expenses can be met by the State Government, Panchayats or funds from Thirteenth Finance Commission, MPLADS, and MGNERGS etc.

8. SOLID AND LIQUID WASTE MANAGEMENT:

Solid and Liquid Waste Management (SLWM) is one of the key components to address this. SLWM is to be taken up in project mode for each Gram Panchayat (GP) with financial assistance capped for a GP on number of household basis to enable all GPs to implement sustainable SLWM projects.

The total assistance under NBA for SLWM projects shall be worked out on the basis of total number of households in each GP. Subject to a maximum of ₹ 7 Lakh for a GP having up to 150 households ₹12 lakh upto 300 households, ₹15 lakh up to 500 households and ₹ 20 lakh for GPs having more than 500 households. Funding for SLWM project under NBA is provided by the Central and State Government in the ratio of 70:30. Any additional cost requirement is to be met with funds from the State/ GP.

9. MAINTENANCE OF FACILITIES CREATED UNDER NBA:

It is essential to train the Community, particularly all the members of the family in the proper upkeep and maintenance of the sanitation facilities created. The IEC activities should include awareness of the community on how to maintain the sanitation facilities. The maintenance expenses of individual household sanitary complexes may be met by the PRIs through appropriate mechanisms like user charges etc. The concerned Departments should provide adequate funds for maintenance of School/ Anganwadi Toilets. Any other appropriate funds made available by the state government to the PRIs/ Districts may be utilized.

10. PROJECT FUNDING: NBA-Component -wise earmarking and funding pattern

S.No.	Component	Amount earmarked as % of the NBA Project outlay	Contribution Share		Beneficiary household / community
			GoI	State	
a.	IEC, Start Up Activity and Capacity Activity	Up to 15%	80%	20%	0%
b.	Revolving Fund	Up to 5%	80%	20%	0%



S.No.	Component	Amount earmarked as % of the NBA Project outlay	Contribution Share		Beneficiary household / community
			GoI	State	
c.	(i) Individual Household latrine	Actual amount required for full coverage	₹ 3200 (₹3700 in case of hilly and difficult areas)	₹1400.00	₹ 900.00
	(ii) Community Sanitary Complex	Actual amount required for full coverage	60%	30%	10%
d.	Institutional Toilets including School and Anganwadi Sanitation	Actual amount required for full coverage	70%	30%	0%
e.	Administrative charges	Up to 4%	80%	20%	0%
f.	Solid / Liquid Waste management (capital cost)	Actual amount as per SLWM Project cost within limits permitted	70%	30%	0%

11. NGP AWARD MONEY FOR THE GRAM PANCHAYAT

Award Money to GPs is offered based on Population criterion, which is given in the table below:

Criteria / Amount	Gram Panchayat				
Population as per Census 2011	Less than 1000	1000 to 1999	2000 to 4999	5000 to 9999	10,000 and above
Award money (₹In Lakh)	1.0	2.0	4.0	8.0	10.0

11.1 Additional Award Money for bonus point for the house holds Piped water connection from NRDWP

Criteria / Amount	Gram Panchayat				
Population as per Census 2011	Less than 1000	1000 to 1999	2000 to 4999	5000 to 9999	10,000 and above
Award money (₹In Lakh)	0.5	1.0	2.0	4.0	5.0

12. IAY & MGNREGA Conversion

Under IAY:

Sanitation facility as an integral part However, all houses Constructed by the beneficiaries under Indira Awas Yojana (IAY) or any other state rural housing



scheme which did not have toilets shall also be eligible for the incentive for creation of sanitation facilities for the targeted groups under NBA. The District Implementing Agency shall transfer the funds in respect of targeted IAY house. After receipt of request from IAY Implementing Agency in two installments, the first installment being 50% of the required funds as per the target approved for toilets in IAY houses. The second installment will, however, be released on utilization of 60% of the available funds with the IAY implementing agencies and on submission of required UCs/ ASAs as per NBA guidelines.

Under MNREGS:

- a) Individual Household latrine (IHHL) works can be taken up either under convergence with NBA or independently under MGNREGS, as per the choice of the beneficiary.
- b) The MGNREGS component stands increased from the present ₹4500.00/- to ₹5400.00/- keeping in view the revision of wages.
- c) Where IHHLs are taken up independently under MGNREGS, the following shall be kept in view:
 - i) The payment shall be based on the actual value of work done, subject to the overall outflow from MGNREGS funds limited to ₹10000.00 per IHHL including the wage and material cost. Any expenditure over the above this amount shall be the beneficiary contribution.
 - ii) The designs and specifications shall continue to be as laid down by the Ministry of Drinking Water & Sanitation, GoI.
 - iii) The data of such IHHLs shall be shared with the agencies implementing the NBA to ensure that no further incentive is paid from NBA funds. There shall be no duplication between the toilets taken up under NBA in convergence with MGNREGS and independently under MGNREGS. The Gram Panchayat authorities will be responsible for ensuring this.
 - iv) For all works taken up by the Gram Panchayats, including the rural sanitation work taken up based on the above guidelines, the cost of the material component including the wages of the skilled and semi-skilled workers shall not exceed forty percent at the Gram Panchayat level.

(R.S. Bhandari)
CDS, PMU

(D.R. Joshi)
State Coordinator NBA/
Unit coordinator (S.D) PMU



A Case: Resolving Drinking Water Problem by Community Effort: Village-Naini-Poundar

ABSTRACT

Gram Panchyat Naini-Poundar, Block-Augustmuni of Rudraprayag, Uttarakhand is situated at a distance of 60 km from the district headquarter. The population of the village is 796 souls comprising 132 households spread over five habitations. The Villagers were dependent on Naini Poundar Water Supply scheme constructed by the Uttarakhand Peyjal Nigam (UJN) in the year 1984. The water supply scheme had outlived its technical age in the year 1999. Furthermore, the water source of the scheme was also located in other habitation resulting in frequent disruption by the residents of other habitation. It also showed diminishing trend of water discharge. Thus there was an acute shortage of water in the village. The villagers were dependent on water tankers provided by Uttarakhand Jal Sansthan.

The village was selected under Uttarakhand Rural Water Supply and Sanitation Program (URWSSP) in the year 2008-09 on the demand of community for the construction of new water supply scheme in their village. A single village water supply scheme was conceived and executed in the year 2010-11. Since then the water supply scheme is being operated and maintained by the local community with the active support of Gram Panchyat (GP). Needless to mention that water source is situated at a distance of nine km and has obtained concurrence of the concerned GP. This case study of water supply scheme of Naini-Poundar is significant due to various reasons including (i) remoteness of the water source implying continuous vigilance of the pipeline network and (ii) institutionally and financially sustainable.

1. BACKGROUND:

The 73rd Amendment of the Constitution of India came into force in 1993, which ensured conferment of powers and responsibilities to Panchayati Raj Institutions (PRI's) for local self-governance. This state has the distinction of implementing World Bank assisted Rural Water Supply & Environmental Sanitation Project based on demand driven approach during 1996 to 2003. The state of Uttarakhand has been a front runner in the devolution of funds, functions and functionaries to PRI institutions since 2003. The ongoing Uttarakhand Rural Water Supply and Sanitation Project (URWSSP) supporting a Sector Wide Approach (SWAp) for rural water supply and sanitation in the state has been effective since 30th November,



2006. This project is jointly financed by the World Bank, Government of India, Government of Uttarakhand and Community.

The Project development objective is to improve the effectiveness of Rural Water Supply and Sanitation (RWSS) services through decentralization and the increased role of the Panchayati Raj Institutions (PRIs) and the involvement of local communities in the state of Uttarakhand. The RWSS schemes under sector program are adopting an integrated approach for improving sustainability of water supply and maximizing health benefits. The Water Supply Schemes are integrated with Catchment Area Conservation and Management Program (CACMP), Household and Village Environmental Sanitation Program, Solid Waste Management, Health and Hygiene Awareness Promotion and Safe Disposal of Waste Water. So far about 5000 habitations have been benefited under the project by all three implementing agencies. The village Naini-Poundar is one of the water supply schemes under the project. The water supply scheme for Naini-Poundar was commissioned in December, 2011.

2. DISTINCT FEATURES OF VILLAGE NAINI-POUNDER:

Gram Panchyat Naini-Poundar, Block-Augustmuni of Rudraprayag having 796 population comprising 132 households, is scattered in five habitations. The village is situated en route to famous temples i.e. Sidhpeeth Goddess Ma Sheetla Devi and Lord Basu Kedar. It is situated 60 km away from district head quarter- Rudraprayag at an altitude of 1750 meters above mean sea level (MSL). The temperature varies 20° C to 35° C (during summer) and between -5° C to 5° C (during winter). The village is surrounded by dense Oak forest. Most of the villagers are employed with service sector whereas few are dependent on agricultural land for subsistence. The literacy rate of the village is quite high 85 %.

3. DESCRIPTION OF WATER SUPPLY SCHEME:

The villagers were dependent on Naini-Poundar water supply scheme constructed by the Uttarakhand Peyjal Nigam in the year 1984. The water supply scheme had outlived its technical age in the year 1999. Furthermore, the water source of the scheme was also located in other habitation resulting in frequent disruption by the residents of other habitation. It also showed diminishing trend of water discharge. Thus there was an acute shortage of water in the village. The villagers were dependent on water tankers provided by Uttarakhand Jal Sansthan. But it was



inadequate to fulfill the drinking water need of the villagers. These were the compelling reasons for the community to switch over to demand responsive approach in order to improve their water supply system. The community of the village through a GP resolution requested the local district implementation unit of the URWSSP to include their village for improvement in water supply and sanitation service. Thus, the village was selected under the project during the year 2008-2009.

PROCESSED FOLLOWED:

- **Pre-feasibility:** It was found during pre-feasibility that (i) villagers of Naini-Paundar were having acute shortage of drinking water; (ii) villagers were willing to contribute towards partial capital cost and cent percent O & M responsibility cost.
- **Planning Phase:** The Planning Phase agreement with the support organization; Shri Raj Rajeshwari Bal Evam Mahila Kalyan Samiti, Rudraprayag was entered in to on 16-06-2008. The planning phase duration was six month. The Support Organization (SO) deployed its team comprising Community Facilitator, Engineer, Community Worker, etc., for dissemination of project principles and procedures leading to community mobilization and preparing villagers for implementation of water supply scheme. The User Water & Sanitation Sub-Committee (UWSSC) comprising 8 members was constituted for management and execution of the water supply scheme. The UWSSC gave due importance for inclusion of women representatives members. There was no appropriate source of water within the village limitations. It was the main concern regarding availability of gravity water source with sufficient water yield in planning phase. Finally as of combined efforts (i.e. UWSSC, Support Organization and District Implementation Agency), community got NoC from nearest Gram Panchyat Uchola to tap 'Uchola Gahera' as a water source. Various technical options were discussed in the community wide meetings and "Agree-to-do Meeting". The discussions on technical options included Gravity, Pumping, RWHT, Reorganization of existing scheme etc. Finally, gravity based scheme from the Uchola Gadhera was unanimously approved by the community. The availability



**Public Stand Post with Soak Pit,
Naini Paundar, distt.- Rudraprayag**



of discharge in the Uchola Gadhera was found to be around 200 lpm throughout the year which was sufficient to meet the water demand of the village. For the long term sustainability of source various measures were planned under Catchment Area Conservation Works as per site requirement. The culmination of the Planning Phase resulted in preparation of Detailed Project Report (DPR) amounting to ₹35.6 lakh.

- **Implementation Phase:** The Implementation Phase Quadruple Agreement (IPQA) became effective since 30th August, 2010. The water supply scheme was commissioned on 2nd December, 2011. Following works were done in this phase: (i) Source work: Construction of SCC (Spring Collecting Chamber); (ii) Storage work (RCC): 1 Reservoir of 30 kl capacity; (iii) Supply Network: 8665 Mtr.; (iv) Distribution Network: 3445 mtr. (v) Public Stand Post: 17 (vi) Plantation: 1000 (vii) Recharge Pit: 2 and (viii) RR Dry Stone Check Dam: 4.
- **Operation and Maintenance Phase:** The district level project functionaries built the capacity of UWSSC members and PRI members for routine operation and maintenance of the scheme and also account management and financial management. Thus, it was a phase where emphasis was on handholding of the UWSSC and GP. The operation and maintenance phase activities were completed in April, 2012. Since then the scheme is being operated and maintained by the UWSSC under the guidance of GP.



Reservoir of 30 kl capacity, Naini Poundar, distt.-Rudraprayag

4. EVIDENCE OF PERFORMANCE:

- The scheme is running satisfactorily and meeting its recurring cost without any external support from the government since April, 2012.
- The O & M is being done by the UWSSC.
- The beneficiaries are contributing ₹10 per month per family as user charges to the O & M account of UWSSC.
- The UWSSC has been able to generate surplus funds to the tune of ₹35000.00 (₹ Thirty Five Thousand Only) after meeting all its liabilities of O & M.



- Community wide meeting are regularly organized to share income and expenditure before the villagers which reflect the full transparency in O & M of the scheme.
- Times to time meetings are also organized by the DPMU officials to provide support/ guidance to the Gram Panchayat for smooth functioning/ operation of scheme.
- Every family/ beneficiary of the village is fully following rules/ regulation made by UWSSC.
- The active participation and contribution of women as a UWSSC member and in a community meeting is highly appreciable.
- The UWSSC also resolves the disputes at the village level and involves the villagers to contribute their efforts for scheme operation.
- The transparency at every stage has largely contributed towards community satisfaction and ownership.

5. FACTOR OF SUCCESS:

- Effective and knowledgeable leadership of the UWSSC has been the driving force for successful implementation and O & M of the water supply scheme.
The public disclosure of all the activities including financial transactions has contributed a lot.
- The community has been actively involved in all the phases of the scheme cycle.
- The Support Organization has fulfilled all its obligations in true spirit.
- Devotion of sufficient time for interaction with community has been one of the contributing factors for this village.
- Keeping the view of long term sustainability and operation of water supply scheme the collection of Operation and Maintenance (O & M) cost has been regularly collected by the UWSSC.
- As per the policy of sector program the conflict regarding water supply schemes are resolved at UWSSC level itself.
- The prime reason for sustainable O & M in this particular village is that there is an effective demand from the community for the water supply service and the community was properly trained to efficiently and effectively handle dispute resolutions, material procurement, financial transactions and record/ book keeping in a satisfactory manner.



6. LESSONS LEARNED:

The Project is transparent and thrust to maximum power in the hands of the community where in villagers for the first time were made aware, that the facility provided are their own and its maintenance was essentially their concern, as against expecting somebody from the government to maintain the infrastructure.

- The demand by, and the participation of the community are key elements that influence the community's willingness to assume financial responsibility for the system.
- It has been proved that the community show tremendous interest and enthusiasm in shouldering responsibilities, including procurement and financial management activities, when properly empowered.

7. REFERENCES:

- (i) Officials of District Project Management Unit (DPMU);
- (ii) Implementation Phase Report (IP);
- (iii) Sector Information System (SIS)
- (iv) UWSSC; O & M records;

P.S. Matura

Environment Specialist
DPMU- Rudraprayag

Alok Semwal

Monitoring and Evaluation Specialist
PMU, Swajal



Right to Information Act - 2005

HISTORY OF THE RIGHT TO INFORMATION ACT:

It has taken India 82 years to transition from an opaque system of governance, legitimized by the colonial official Secrets Act, to one where citizens can demand the right to information. The recent enactment of the Right to Information Act 2005 marks a significant shift for Indian democracy, for the greater the access of citizens to information, the greater will be the responsiveness of government to community needs.



Right To Information is derived from our fundamental right of freedom of speech and expression under Article-19 of the constitution. If we do not have information on how our government and public institutions function, we cannot express any informed opinion on it. Democracy revolves around the basic idea of citizens being at the center of governance. And the freedom of the press is an essential element for a democracy to function. It is thus obvious that the main reason for a free press is to ensure that citizens are informed. Thus it clearly flows from this, that the Citizens Right To Know is paramount.

The Act and its rules define a format for requisitioning information, a time period within which information must be provided, a method of giving the information, some charges for applying and some exemptions of information which will not be given.

THE NEED FOR RIGHT TO INFORMATION:

In recent years, there has been an almost unstoppable global trend towards recognition of the right to information by countries, intergovernmental organizations, civil society and the people. The right to information has been recognized as a fundamental human right, which upholds the inherent dignity of all human beings. The right to information forms the crucial underpinning of participatory democracy - it is essential to ensure accountability and good governance. The greater the access of the citizen to information, the greater the responsiveness of government to community needs. Alternatively, the more restrictions



that are placed on access, the greater will be the feelings of 'powerlessness' and 'alienation'. Without information, people cannot adequately exercise their rights as citizens or make informed choices.

- (a) The free flow of information in India remains severely restricted by three factors: The legislative framework includes several pieces of restrictive legislation, such as the Official Secrets Act, 1923;
- (b) The pervasive culture of secrecy and arrogance within the bureaucracy; and;
- (c) The low levels of literacy and rights awareness amongst India's people. The primary power of RTI is the fact that it empowers individual citizens to requisition information. Hence without necessarily forming pressure groups or associations, it puts power directly into the hands of the foundation of democracy- the citizen.

APPLICABILITY:

The Act applies both to Central and State Governments and all public authorities. A public authority (Section-2 (h)) which is bound to furnish information means any authority or body or institution of self-government established or constituted (a) by or under the Constitution, (b) by any other law made by Parliament, (c) by any other law made by State Legislature, (d) by a notification issued or order made by the appropriate Government and includes any (i) body owned, controlled or substantially financed, (ii) non-government organization substantially financed - which, in clauses (a) to (d) are all, directly or indirectly funded by the appropriate Government.

DEFINITION: INFORMATION:

The Act defines information in Section-2 (f) as any material in any form, including the records, documents, memos, e-mails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, log books, contracts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any law for the time being in force. Section-2 (i) defines the word 'record' as including (a) any document, manuscript and file, (b) any microfilm, microfiche and facsimile copy of a document, (c) any reproduction of image or images embodied in such microfilm and (d) any other material produced by a computer or any other device.

DEFINITION: RIGHT TO INFORMATION:

The right to information is defined in Section-2 (j) as a right to information accessible under the Act which is held by or under the control of any public authority and includes a



right to (i) inspection of work, documents, records, (ii) taking notes, extracts or certified copies of documents or records, (iii) taking separate samples of material, (iv) obtaining information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode or through printouts where such information is stored in a computer or in any other device.

MAINTENANCE AND PUBLICATION OF RECORDS:

Section-4 makes it a duty of public authorities to maintain records for easy access and to publish within 120 days the name of the particular officers who should give the information and in regard to the framing of the rules, regulations etc. Sub-Section (3) of Section-4 states that for the performance of Sub-Section (1), all information shall be disseminated widely and in such form and manner, which is easily accessible to the public.

Section-6 permits persons to obtain information in English or Hindi or in the official language of the area from the designated officers. The person need not give any reason for the request or any personal details. Section-7 requires the request to be disposed of within 30 days provided that where information sought for concerns the life or liberty of a person, the same shall be provided within 48 hours. Under Section-7 (7) before any decision is taken for furnishing the information, the designated officer shall take into consideration the representation, if any, made by a third party under Section-11.

A request rejected shall be communicated under Section-7(8) giving reasons and specifying the procedure for appeal and the designation of the appellate authority. Section-7 (9) exempts granting information where it would disproportionately divert the resources of the public authority or would be detrimental to the safety and preservation of the record in question.

EXEMPTIONS:

Section-8 exempts from disclosure certain information and contents as stated in Sub-clauses (a) to (j) thereof. Sub-clause (b) exempts information, which is expressly forbidden by any court of law or tribunal or the dispute of which may constitute contempt of court. Sub-clause (g) exempts information the disclosure of which would endanger life, or physical safety of any person or identify the source of information or assistance given in confidence for law enforcement or security purpose. Sub-clause (h) exempts information, which could impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders. Sub-clause (i) exempts Cabinet papers.



It is important to note that the Act specifies that intelligence and security organizations are exempted from the application of the Act. However, it is provided that in case the demand for information pertains to allegations of corruption and human rights violations, the Act shall apply even to such institutions.

CONSTITUTIONAL AVENUES REMAIN OPEN:

Under the Act, where a citizen has exhausted the remedy of appeal or second appeal, the finality given to the orders of the commissioners and appellate authorities is only for the purposes of the Act and the citizen has a right to approach the High Court under Article-226 or where it refers to a fundamental right, he may even approach the Supreme Court under Article-32.

RIGHT TO INFORMATION AS A FUNDAMENTAL RIGHT:

Supreme Court on the Right To Information

The right to information is a fundamental right flowing from Article-19 (1) (a) of the constitution is now a well-settled proposition. Over the years, the Supreme Court has consistently ruled in favor of the citizen's right to know. The nature of this right and the relevant restrictions thereto, has been discussed by the Supreme Court in a number of cases:

In Bennett Coleman, the right to information was held to be included within the right to freedom of speech and expression guaranteed by Article-19(1)(a).

In Raj Narain, the court explicitly stated that it is not in the interest of the public to 'cover with a veil of secrecy the common routine business- the responsibility of officials to explain and to justify their acts is the chief safeguard against oppression and corruption. In S.P. Gupta, the right of the people to know about every public act, and the details of every public transaction undertaken by public functionaries was described.

IMPACT OF THE NEW LAW:

Now that the statute requires information about the pendency of the applications, reasons as to why they are not disposed of or the reasons behind the rejection of an application, there is bound to be improvement in the efficiency of the departments. As of now, the only supervision of efficiency is supervision that is made by the superior officers at the time of reviewing the employees' work and while recording comments in the annual confidential



reports or ACRs. This process has not proved successful and though it may be continued, still the threat of a designated official calling for the relevant information at the instance of a citizen will be a salutary check on the inefficiency of officers. It also checks lethargy or bad faith or corrupt motives.

Another important aspect is that in India we have not given respect and prominence to the rights of the individual citizen. True democracy is impossible until we recognize the majesty of the individual citizen. If individual citizens are empowered to ensure greater accountability and transparency in governance, it can bring about a major change. There has been no vehicle available for individual citizens to impact the governance structure. In a system reeking with corruption and becoming increasingly insensitive to the problems of the disadvantaged citizenry, the Right to Information has shown promise of empowering citizens to get accountability and act as an enforcer of good governance.

The overall impact of these decisions has been to establish clearly that the right to freedom of information, or the public's right to know, is embedded in the provisions guaranteeing fundamental rights in the constitution. Various Indian laws provide for the right to access information in specific contexts. Section-76 of the Indian Evidence Act, 1872, contains what has been termed a 'Freedom of Information Act in embryonic form'. This provision requires public officials to provide copies of public documents to anyone who has a right to inspect them.

The Factories Act, 1948, provides for compulsory disclosure of information to factory workers "regarding dangers including health hazards and the measures to overcome such hazards", arising from their exposure to dangerous materials. While this is an excellent provision, in practice it is violated with impunity. The Environment (Protection) Act 1986 and the Environmental Impact Assessment Regulations provide for public consultation and disclosure in various circumstances.

CRITICISMS

The Act has been criticized on several grounds. It provides for information on demand, so to speak, but does not sufficiently stress information on matters related to food, water, environment and other survival needs that must be given pro-actively, or suo moto, by public authorities. The Act does not emphasize active intervention in educating people about their right to access information - vital in a country with high levels of illiteracy and



poverty - or the promotion of a culture of openness within official structures. Without widespread education and awareness about the possibilities under the new Act, it could just remain on paper. The Act also reinforces the controlling role of the government official, who retains wide discretionary powers to withhold information.

The most scathing indictment of the bill has come from critics who focus on the sweeping exemptions it permits. Restrictions on information relating to security, foreign policy, defence, law enforcement and public safety are standard. But the Right to Information Act also excludes Cabinet papers, including records of the council of ministers, secretaries and other officials, this effectively shields the whole process of decision-making from mandatory disclosure.

Another stringent criticism of the Act is the recent amendment that was to be made allowing for file notings except those related to social and development projects to be exempted from the purview of the Act. File notings are very important when it comes to the policy making of the government. It is these notes that hold the rationale behind actions or the change in certain policy, why a certain contract is given or why a sanction was withheld to prosecute a corrupt official. Therefore the government's intention to exempt the file notings from the purview of the Act has come in for stringent criticisms.

By enacting the Right to Information Act India has moved from an opaque and arbitrary system of government to the beginning of an era where there will be greater transparency and to a system where the citizen will be empowered and the true center of power. Only by empowering the ordinary citizen can any nation progress towards greatness and by enacting the Right to Information Act 2005 India has taken a small but significant step towards that goal. The real Swaraj will come not by the acquisition of authority by a few but by the acquisition of capacity by all to resist authority when abused. Thus with the enactment of this Act India has taken a small step towards achieving real Swaraj.

Sanjay Pandey

Training and Communication Specialist
P.M.U.-Swajal Project, Dehradun

For Free distribution only.



Uttarakhand Rural Drinking Water Supply & Sanitation Project

Swajal Samachar



Project Management Unit

Swajal Project

Department of Drinking Water & Sanitation, Uttarakhand

निःशुल्क वितरण हेतु



उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना

स्वजल समाचार



परियोजना प्रबन्धन इकाई

स्वजल परियोजना
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड





अनुक्रमणिका



क्र.स.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सम्पादकीय	2
2.	सफलता की कहानी: ग्राम पंचायत-रूईना, विकासखण्ड: मूनाकोट, जनपद-पिथौरागढ़	3
3.	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन	5
4.	निर्मल भारत अभियान के साथ मनरेगा एवं इन्दिरा आवास योजना का युगपितीकरण	16
5.	समुदाय हेतु संचालन एवं रखरखाव नीति	20
6.	क्षेत्र सुधार परियोजना: सामुहिक शक्ति एवं आत्म विश्वास से प्राप्त कर रहे हैं शुद्ध पेयजल	28
7.	अब वो दिन बीत गए	32
8.	जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, रूद्रप्रयाग - एक सन्देश	33
9.	सन्देश	35
10.	शपथ पत्र	36



संरक्षण मण्डल

1. **श्री एस. राजू**
प्रमुख सचिव पेयजल एवं स्वच्छता
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. **सौजन्या**
निदेशक
पी.एम.यू.-स्वजल परियोजना, देहरादून
3. **श्री पी.सी. खरे**
वित्त नियंत्रक,
पी.एम.यू.-स्वजल परियोजना, देहरादून

सम्पादक मण्डल

- श्री के.बी. शाह**
इकाई समन्वयक (अनु. एवं मूल्या.)
मुख्य सम्पादक
- श्री संजय पांडे**
प्रशिक्षण एवं संचार विशेषज्ञ, सह सम्पादक
- डा. रमेश बडोला**
पर्यावरण विशेषज्ञ, सह सम्पादक
- श्री बीरेन्द्र भट्ट**
सामुदायिक विकास विशेषज्ञ, सह सम्पादक
- डा. रन्नो यादव**
महिला विकास विशेषज्ञ, सह सम्पादक
- श्री बी.पी.एस. भण्डारी**
टंकण एवं साज-सज्जा



संपादकीय

संविधान के 73वें संशोधन की मूल भावना के अनुरूप सत्ता का विकेन्द्रीकरण तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त, सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए स्वजल परियोजना जनसभागिता आधारित एक सामुदायिक जलापूर्ति उपलब्ध कराने की योजना है, जिसके अन्तर्गत मॉग आधारित सिद्धान्त की अवधारणा को समुदाय के माध्यम से ही योजनाओं का चयन, निरूपण, क्रियान्वयन, प्रबन्धन, का कार्य एवं जलापूर्ति के साथ ही पर्यावरणीय सुधार की दृष्टि से जल निकास प्रबन्धन तथा सामुदायिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय स्वच्छता संवेतना, महिला एवं निर्बल वर्ग विकास पहलु जैसे; महत्वपूर्ण विकास के अवयव को सम्मिलित किये जाने के सकारात्मक प्रयासों का परिणाम स्वजल समाचार की विषय-वस्तु है। यह पत्रिका पेयजल एवं स्वच्छता सैक्टर में सुधार की नीति को सकल क्षेत्र में समरूप नीति (स्वैप) के द्वारा विभिन्न स्तर पर नीतिगत व्यवस्थायें व उपभोक्ताओं द्वारा पेयजल योजना निर्माण एवं स्वच्छता में भागीदारी की मिसालों से परिचित होने का एक मंच है।

उत्तराखण्ड पर्वतीय गाँवों का प्रदेश है यहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 69.45 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। गाँवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का शुभारम्भ किया गया है। अब तक परियोजना में कुल 1394 पेयजल योजनाओं द्वारा 1297 ग्राम पंचायतों को लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत आच्छादित किया गया है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जन-सहभागिता को आधार बनाया जा रहा है। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के विकास के लिए ग्रामीण सहभागिता के अंश को पहली प्राथमिकता दी गयी। परियोजना द्वारा स्वच्छता एवं पर्यावरणीय स्वच्छता को ध्यान में रखते हुये शौचालय निर्माण तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, फलस्वरूप ग्रामीणों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को लेकर जागरूकता उत्पन्न हुयी है जिससे ग्रामीण आदर्श ग्राम की अवधारणा को अपनाते हुये अपने ग्राम को निर्मल ग्राम बनाने हेतु प्रयासरत है।

इस क्रम में उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमितियों ने प्रयास कर अपने गाँवों को खुले में शौच की प्रवृत्ति पर विराम लगाकर सामुदायिक अभिप्रेरणा से शौचालयों का निर्माण करवाया है। पेयजल आपूर्ति की दृष्टि से अभावग्रस्त क्षेत्रों में समुदाय ने अपनी योजनायें खुद बनाकर तथा संचालन एवं रखरखाव कर यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी कार्यक्रम जनसहभागिता के बिना सफल नहीं बन सकता है। सामुदायिक स्तर पर इस तरह के प्रयासों से राज्य के गाँव सफलता की ओर प्रयासरत है।

हमारा अनुरोध है की आगामी अंकों हेतु हमें बच्चों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, इंजीनियरों, जनप्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्थाओं व आमजन से भी इस पत्रिका हेतु उनके सुझाव, लेख व टिप्पणियां मिले ताकि राज्य के जागरूक नागरिकों के साझा प्रयासों से पेयजल एवं स्वच्छता सेवाओं के स्थायित्व हेतु किये जा रहे प्रयास सम्मुख आ सकें।

सम्पादक मण्डल

सफलता की कहानी: ग्राम पंचायत-रुईना विकासखण्ड: मूनाकोट, जनपद-पिथौरागढ़

स्वजल परियोजना द्वारा सैक्टर कार्यक्रम बैच-2 के अन्तर्गत विकासखण्ड-मूनाकोट की ग्राम पंचायत रुईना के चयन से पूर्व ग्राम पंचायत के जुगापानी एवं रुईना तोक में पेयजल की काफी समस्या थी। लोगों को पेयजल हेतु काफी दूर जाना पड़ता था, जिससे उनके काफी समय की बर्बादी होती थी। ग्रामवासियों के पास कोई अपना पेयजल स्रोत भी उपलब्ध नहीं था, लेकिन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं समिति के सदस्यों की सक्रियता से अन्यत्र ग्राम देवदार के प्रधान के सहयोग से पेयजल स्रोत की अनापत्ति प्राप्त की।



पेयजल योजना का निरीक्षण करते हुये
डी.पी.एम.यू.-पिथौरागढ़ के प्रतिनिधि



पेयजल योजना रुईना में निर्मित टैंक,
जनपद-पिथौरागढ़

तदोपरान्त सहयोगी संस्था क्रीड़ा एवं युवा समिति के टीम लीडर श्री मुरारी जी के सहयोग से पेयजल योजना की डी.पी.आर. तैयार की गई जिसकी लागत ₹23.52 लाख रखी गयी। जिसके माध्यम से रुईना एवं जुगापानी तोक के 55 परिवारों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित था। पेयजल योजना के निर्माण में मुझे समस्त लाभान्वित परिवारों एवं उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति रुईना के सदस्यों का सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ तथा पेयजल योजना को 30 जून, 2013 को समय से पूर्ण कर लिया गया। जिसमें समस्त लाभान्वित परिवारों द्वारा निर्धारित अंशदान जमा करने एवं श्रमदान करने में बराबर भागीदारी की गई। जिस कारण मुझे योजना निर्माण में काफी उत्साह मिला। स्वजल परियोजना के तकनीकी सलाहकार श्री बलवंत सिंह कन्याल द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि तृतीय पक्ष के इंजीनियर द्वारा योजना की आई.पी.सी.आर. का निर्माण कर जाँच हेतु जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। तृतीय पक्ष के इंजीनियर द्वारा संयुक्त निरीक्षण की सूचना के आधार पर ₹21.99 लाख



लागत की आई.पी.सी.आर. का निर्माण किया गया। पेयजल योजना के निर्माण में सामुदायिक अभियंता श्री सोनू टम्टा एवं स्वजल परियोजना के तकनीकी सलाहकार श्री बलवंत सिंह कन्याल के द्वारा मुझे अपार सहयोग प्रदान किया गया। दिनांक 17 सितम्बर, 2013 को ग्राम पंचायत रूईना के पंचायतघर में एक आम बैठक कर पेयजल योजना के अन्तिम भुगतान का चैक पेयजल योजना के समस्त दस्तावेजों के साथ स्वजल परियोजना के प्रतिनिधियों के द्वारा पेयजल योजना को ग्राम पंचायत को हस्तगत किया गया। उक्त बैठक में स्वजल परियोजना के तकनीकी सलाहकार एवं सहयोगी संस्था के टीम लीडर द्वारा पेयजल योजना के भविष्य में सुचारु संचालन एवं रख-रखाव हेतु लाभान्वित परिवारों द्वारा प्रतिमाह पेयजल शुल्क जमा करने, पेयजल योजना के देख-रेख करने हेतु चौकीदार नियुक्त करने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। श्री हरीश सिंह को सर्वसम्मति से पेयजल योजना का चौकीदार नियुक्त किया गया एवं मुझे यह दायित्व दिया गया कि प्रत्येक माह पेयजल शुल्क स्टैण्ड पोस्ट से लाभान्वित परिवारों से ₹25.00 एवं व्यक्तिगत कनेक्शन से लाभान्वित परिवारों से ₹50.00 लिया जायेगा, एवं पेयजल योजना के रख-रखाव खाते का संचालन उपसमिति के सहयोग से किया जायेगा।

मैं आज स्वजल परियोजना के सहयोग से निर्मित जुगापानी (रूईना) के अध्यक्ष पद का दायित्व का निर्वहन करने में काफी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आज हमारी पेयजल एवं उपभोक्ता उपसमिति रूईना के रख-रखाव खाते में ₹13377.00 जमा है। समस्त लाभार्थी परिवारों द्वारा पेयजल योजना के सुचारु संचालन में भरपूर सहयोग प्रदान किया जा रहा है। समस्त लाभार्थी परिवार स्वजल परियोजना द्वारा पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के इस सराहनीय पहल के आभारी हैं।

श्रीमती सुनीता देवी

ग्राम प्रधान अध्यक्ष उ.पे.स्व.उ.स.,
ग्राम पंचायत रूईना, विकासखण्ड-मूनाकोट,
जनपद-पिथौरागढ़



ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन

दैनिक जीवनचर्या सम्बन्धी विभिन्न क्रिया-कलापों में अनेक चीजें हैं, जिन्हें हम उपयोग करने के उपरान्त बेकार समझते हुये, यत्र-तत्र बिना सोचे समझे यूँ ही फेंक देते हैं। इसका मुख्य कारण इनकी कोई उपयोगिता न होना अथवा न करना है, जिसे हम आम भाषा में कूड़ा अथवा अपशिष्ट कहते हैं। उक्त अपशिष्ट चाहे कूड़ा करकट हो अथवा गन्दे पानी का फैलाव, इससे पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। परिणाम स्वरूप आस-पास के वातावरण के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग लापरवाही अथवा जानकारी के अभाव में कूड़े-कचरे को आस पास के क्षेत्र में ही फेंक देते हैं घरेलू गन्दे जल का सुरक्षित निस्तारण नहीं कर पाते हैं। उक्त गन्दगी से कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जन स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा अनेक बिमारियां फैलने का अन्देशा रहता है। अतः यह परम आवश्यक है, कि हम कूड़े-कचरे का सुरक्षित निपटान जिम्मेदारी पूर्वक सुनिश्चित करें।

आमतौर पर घर की दैनिक घरेलू कार्यों के साथ साफ-सफाई का कार्य भी मुख्य रूप से महिलाओं की ही जिम्मेदारी है। स्वजल परियोजना द्वारा परियोजना के प्रत्येक क्रिया कलाप में महिलाओं की भागीदारी को महत्व दिया गया है। अतः कूड़े-कचरे के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधियों से निस्तारण हेतु भी जनसमुदाय को जागरूक कराने में महिलायें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, परिणाम स्वरूप हम उचित जानकारी प्राप्त करके जनजागरूकता के साथ-साथ अपने आस पास सफाई रख कर मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण की रक्षा में अमूल्य योगदान दे सकते हैं।

जैसा कि हम जानते हैं कि गंदगी के कारण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अनेक प्रकार की बिमारियां फैलती हैं जिसके कारण अनेक जानलेवा बिमारियों के अतिरिक्त मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्यु दर भी बढ़ रही है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व को समझते हुये भारत सरकार द्वारा ठोस एवं कारगर कदम उठाये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत निर्मल भारत अभियान के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु वित्तीय प्राविधान किया गया है, ताकि ग्राम पंचायत स्तर पर हम विभिन्न उपाय/तकनीकियों (निकास नाली, सोखपिट, कूड़ा दान, कम्पोस्ट पिट, इत्यादि) को अपना कर अपने परिवेश को स्वच्छ रख सके एवं समस्त प्रकार के अपशिष्टों का उचित प्रबंधन करने के साथ-साथ बेकार समझे जाने वाले अपशिष्टों का वैज्ञानिक ढंग प्रयोग करके आय उत्पादक गतिविधियों में परिवर्तित कर लाभ भी ले सकें। भारत सरकार द्वारा उक्त कार्यों को सम्पन्न कराने



हेतु सहायता का निर्धारण ग्राम पंचायतवार उसमें निवास करने वाले परिवारों की संख्या के आधार पर किया गया है, जिसमें 70 प्रतिशत भारत सरकार एवं 30 प्रतिशत राज्य सरकार का योगदान है। परिवार संख्या के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में निम्नानुसार ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु कार्य योजना तैयार की जा सकती है।

क्र.सं.	परिवार संख्या	कार्य योजना की लागत (लाख में)
1.	150 तक	7.00
2.	300 तक	12.00
3.	500 तक	15.00
4.	500 से अधिक	20.00

अपशिष्ट तथा इसके प्रकार (Waste and its types):

अपशिष्ट के मुख्य स्रोत

1. घरों से निकला कूड़ा
2. सार्वजनिक रास्तों का कूड़ा
3. बाजार से उत्पन्न कूड़ा
4. जानवरों/मवेशियों से चारा अपशिष्ट एवं गोबर
5. निर्माण कार्यों से अवशेष/बेकार सामग्री से उत्पन्न कूड़ा

अपशिष्ट के प्रकार:

भौतिक गुणों के आधार पर अपशिष्ट निम्न प्रकार के होते हैं:

- (अ) ठोस अपशिष्ट (Solid Waste)
- (ब) तरल अपशिष्ट (Liquid waste)

(अ) ठोस अपशिष्ट (Solid Waste)

मानव मल-मूत्र तथा निष्प्रयोज्य जल को छोड़कर अन्य सभी अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं अथवा घर-गृहस्थी तथा औद्योगिक परिसरों से छोड़े गये बेकार तथा आर्थिक महत्वहीन कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्टों को ठोस अपशिष्ट कहते हैं।




ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में तथा पशु-शालाओं की सफाई, गोबर, बेकार कागज, कपड़े, रबर, प्लास्टिक, टूटे फूटे शीशे तथा बाजारों का अपशिष्ट यह सभी ठोस अपशिष्ट की श्रेणी में आते हैं। अधिकांश अपशिष्ट पदार्थ प्राकृतिक रूप से अपघटित हो कर जमीन में मिल जाते हैं तथा कुछ ऐसे होते हैं जो अपघटित नहीं होते हैं। इस प्रकार इनके दो प्रकार होते हैं:

1. **जैविक अपघट्य (Bio-Degradable):** ऐसे अनुपयोगी सामग्री/कूड़ा (Waste Material) जो जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा पूर्ण रूप से विघटित हो जाते हैं, जैविक अपघट्य कहलाते हैं। किचन से सम्बन्धित कचरा, जानवरों के चारा अपशिष्ट एवं गोबर, कृषि अवशेष इत्यादि प्रमुख हैं।
2. **अजैविक अपघट्य (Non-Biodegradable):** जो अपशिष्ट जैविक क्रियाओं तथा बैक्टीरिया आदि के द्वारा विघटित हो पाते, अजैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। अजैविक अपशिष्ट दो प्रकार होते हैं:
 - (क) **पुनः प्रयोज्य (Recyclable):** ऐसे अपशिष्ट जिन्हें उपचारित करके दोबारा इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है। मुख्यतः कागज, प्लास्टिक, कांच, पुराने कपड़े इत्यादि इस श्रेणी में आते हैं।
 - (ख) **पुनः अप्रयोज्य (Non-Recyclable):** ऐसे ठोस अपशिष्ट जिन्हें उपचारित करके पुनः इस्तेमाल करने योग्य नहीं बनाया जा सकता। जैसे; थर्मोकॉल कार्बन पेपर आदि।

(ब) तरल अपशिष्ट (Liquid Waste):

प्रयोग करने के उपरान्त अवशेष बेकार पानी (Used Water) तरल अपशिष्ट कहलाता है। जो कि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से पीलिया, हैजा, अतिसार, आन्त्रसोथ, मलेरिया जैसी बिमारियों का कारण भी बनता है। तरल अपशिष्ट दो प्रकार का होता है:-

- **भूरा पानी (Grey Water):** किचन, लान्ड्री (Laundry) तथा स्नानगृह का इस्तेमाल करने के उपरान्त अवशेष बेकार, भूरा पानी कहलाता है।
- **काला पानी (Black Water):** शौचालय में प्रयोग के उपरान्त अवशेष पानी काला पानी कहलाता है।



ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट पदार्थों की समस्या:

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस तथा तरल अपशिष्ट पदार्थों के कारण पर्यावरण के स्थायित्व का खतरा पैदा हो गया है। एक अनुमान के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 15000 से 18000 मिलियन लीटर प्रतिदिन तरल अपशिष्ट (Liquid Waste) उत्पन्न होता है तथा 0.3 से 0.4 मिलियन मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट प्राप्त होता है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जल जनित तथा गन्दे पानी से उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रोग, जैसे:-हैजा, मलेरिया, डायरिया, डेगू तथा पोलियो आदि फैलते हैं। करीब 88 प्रतिशत बिमारियों का कारण स्वच्छ जल एवं स्वच्छता का अभाव और ठोस तथा तरल अपशिष्ट का अनुचित प्रबन्धन है। इस स्थिति के निम्न दुष्परिणाम हो रहे हैं:

- डायरिया से प्रतिदिन करीब 1500 बच्चे मरते हैं।
- नवजात शिशुओं की मृत्युदर (IMR-Infant Mortality Rate) बढ़ती है। ग्रामीण/देहाती क्षेत्रों में शहरों की तुलना में 42 के मुकाबले 62 है।
- 1 से 14 वर्ष तक के बच्चों में जानलेवा (Killing) रोगों में 10 में से 05 पानी की अस्वच्छता से सम्बन्धित होते हैं।



ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबन्धन के उद्देश्य (Objectives of Waste Management in Rural Areas)

ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबन्धन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- (i) ग्रामीणों के स्वास्थ्य की सुरक्षा।
- (ii) पुनः चक्रीकरण के द्वारा अपशिष्ट को दोबारा प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना।
- (iii) गावों को साफ-सुथरा रख कर, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करना।
- (iv) स्थानीय स्तर पर रिसाइकिलिंग प्लान्ट लगाकर रोजगार सृजन करना।
- (v) किचन, लान्ड्री तथा बाथरूम के गन्दे पानी का सदुपयोग बाग-बगीचे में करना।

ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबन्धन:

अभी तक हमने अपशिष्ट पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। मानवीय क्रियाओं द्वारा दोनों ही प्रकार के अपशिष्टों में बेतहासा बढ़ोत्तरी हो चुकी है, तथा हो रही है। इससे पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है तथा मानव स्वास्थ्य को भी खतरा पैदा हो गया है। अतः अब इस कचरे (अपशिष्ट) का उचित निस्तारण अति आवश्यक हो गया है।

मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय क्षति को न्यूनतम करने के लिये ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की परिभाषा:

ठोस तथा तरल दोनों प्रकार के अपशिष्टों का संग्रहण, ढुलान, प्रोसेसिंग, रिसाइकिलिंग तथा पुनः प्रयोग करने की प्रक्रिया को अपशिष्ट प्रबन्धन कहते हैं। तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन भारत सरकार द्वारा संचालित निर्मल भारत अभियान (NBA: Nirmal Bharat Abhiyan) का एक महत्वपूर्ण अंग हैं।

प्रबन्धन की रणनीति (Strategy of Management):

मुख्यतः अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु निम्नानुसार रणनीति अपनाई जा सकती है:

REDUCE — कम करना

REUSE — पुनः उपयोग

RECYCLE — पुर्नचक्रण



1. समुदाय में जागरूकता उत्पन्न करना (Awareness)
2. अपशिष्ट प्रबन्धन की शुरुआत (Beginning Level of Waste Management)
3. अपशिष्ट प्रबन्धन की उपयुक्त तकनीकों की सभी को उपलब्धता (Availability of Suitable Techniques to General People)
4. सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना (Community Participation)
5. अन्य एजेंसियों की सहभागिता सुनिश्चित करना (Participation of other Agencies)

1. जागरूकता कार्यक्रम (Awareness):

ग्रामीण क्षेत्रों में उचित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु जनसमुदाय के साथ-साथ पंचायत राज संस्थाएँ को भी जागरूक करना अति आवश्यक है। स्थान विशेष के आधार पर प्रबन्धन के उपायों की जानकारी देनी होगी। ग्राम पंचायत स्तरीय संस्थाएँ एवं समुदाय ही प्रबन्धन के तरीकों का क्रियान्वयन करते हैं, अतः पंचायती राज संस्थाओं तथा समुदाय प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जन-जागरूकता सम्बन्धी क्रिया कलापों पर चर्चा की जानी आवश्यक है। जन-जागरूकता कार्यक्रम हेतु दीवार लेखन, साईनबोर्ड, नोटिसबोर्ड, नुक्कड़ नाटक, प्रश्नोत्तरी, प्रदर्शन कार्य (Demonstration), क्षेत्र भ्रमण इत्यादि को सम्मिलित किया जा सकता है।

2. अपशिष्ट प्रबन्धन की शुरुआत (Beginning Level of Waste Management):

सर्वप्रथम ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन को पारिवारिक स्तर से शुरू किया जा सकता है। प्रबन्धन के कुछ अंश ऐसे होते हैं जो पारिवारिक स्तर पर सम्भव नहीं होते, ऐसे तत्वों को समुदाय स्तर पर व्यवस्थित किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप; एक सामुदायिक जल निकास नाली का प्रबन्धन सामुदायिक स्तर पर करना।

3. उपयुक्त तकनीकी की उपलब्धता (Availability of Suitable Techniques):

स्थानीय/भौगोलिक स्थितियों के आधार पर अपशिष्ट प्रबन्धन की विभिन्न उपयोगी तकनीकों का विकल्प के रूप में सुझाया जाना आवश्यक है। तकनीकी विकल्प इस तरह से चयन किये जाये जो कि स्थान विशेष अथवा उपलब्धता के आधार पर उपयुक्त, स्थाई एवं सरल हो साथ ही जिनका रखरखाव स्थानीय स्तर पर किया जा सके एवं आम जनमानस में स्वीकार्यता हो। ग्राम स्तर पर तकनीकी के चयन में इस बात का भी अवश्य ध्यान रखा जाये, कि सम्पादित किये जाने वाले कार्य/तकनीकी की चर्चा समुदाय/उपभोक्ता परिवार एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ की जाये ताकि इसकी जानकारी पंचायत के साथ-साथ गाँव के प्रत्येक वर्ग को हो सके।



4. सामुदायिकता (Community Participation):

अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये तैयार की जाने वाली कार्य योजना, आवश्यकतानुसार अथवा माँग आधारित होना चाहिए। चूँकि यह एक समुदाय आधारित योजना है, अतः इसमें प्रत्येक हित धारक (Stake Holder) की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। कार्य सम्पादन तथा संचालन एवं रखरखाव में कोई समस्या/रूकावट न हो इस हेतु समस्त निर्णय अथवा प्रबन्धन में पारदर्शिता का होना आवश्यक है।


5. सामाजिक संगठन/ग्राम स्तरीय संगठन (Participation of other NGOs/ CBOs):

अपशिष्ट प्रबन्धन में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों (NGOs), ग्राम पंचायत स्तरीय संगठन (CBOs), की सहभागिता भी ली जा सकती, जिससे कार्यक्रम को व्यापक जनाधार मिलता है तथा स्थानीय लोगों में विश्वास की भावना सुदृढ़ होती है।

6. एक्शन प्लान की इकाई (Unit of Action Plan):

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्ध हेतु आवश्यक है कि कार्यक्रम के नियोजन/क्रियान्वयन एवं रखरखाव जनसमुदाय/पंचायती राज संस्थाओं के साथ-साथ कार्यकर्ताओं की क्षमता का विकास किया जाये। सभी हित धारकों को इसके क्रियान्वयन के लाभों की जानकारी का होना आवश्यक है। यह कार्य परिवार, गाँव, ब्लाक, जिला तथा राज्य स्तर पर किया जाना चाहिए।

ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन (Solid Waste Management)





ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन दो स्तरों पर किया जा सकता है:

1. पारिवारिक स्तर पर (Household Level)
2. सामुदायिक स्तर पर (Community Level)


सर्वप्रथम पारिवारिक स्तर पर ही ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन कर लिया जाता है तो सामुदायिक स्तर पर भी इसका प्रबन्धन अधिक आसान हो जाता है।

1. पारिवारिक स्तर पर प्रबन्धन (Management of Household Level):

पारिवारिक स्तर पर प्रबन्धन के निम्न चरण हैं:

(अ) **घरेलू कूड़ा का प्रबन्धन:** घरेलू ठोस कचरा छांटकर अलग रखना चाहिये अर्थात् जैविक (सड़ने/गलने वाला कूड़ा) तथा अजैविक (न सड़ने वाला कूड़ा) को प्रत्येक परिवार द्वारा अपने घर में ही एकत्र करना चाहिये, इस हेतु अलग-अलग रंगों के 2 कूड़ादान (Dustbins) लिये जा सकते हैं।

(ब) **गोबर एवं कृषि अवशेष का प्रबन्धन:** ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय है। प्रायः गोबर एवं कृषि/चारा अवशेष का उचित प्रबन्धन नहीं हो पाता, जिसके कारण आम रास्ते/गलियों में गोबर एवं कृषि अवशेष का फैलाव गंदगी का कारण बनता है। गोबर एवं कृषि अवशेष के उचित प्रबन्धन हेतु खाद गड्ढे बनाकर किया जा सकता है, इससे जहां एक ओर गांव




खाद-गड्ढे का डिजाइन व निर्मित खाद-गड्ढा

की स्वच्छता बनी रहेगी वही दूसरी ओर अच्छी गुणवत्ता की खाद भी तैयार हो पायेगी। खाद तैयार करने हेतु 2 गड्ढे बनाये जाने आवश्यक हैं, क्योंकि एक गड्ढा पूर्ण रूप से भर जाने के उपरान्त लगभग 3-5 माह में खाद तैयार होती है। पहले गड्ढे में खाद तैयार होने वाले समय में दूसरे गड्ढे का उपयोग किया जा सकेगा। उक्त हेतु समान्य खाद गड्ढे के अतिरिक्त वर्मी कम्पोस्ट एवं बायोगैस प्लान्ट लगाकर भी हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

(स) **तरल अपशिष्ट प्रबन्धन:** जैसे कि उपरोक्त में भूरा पानी एवं काला पानी के विषय में जानकारी दी गयी है, दोनों प्रकार के पानी से फैलने वाली गंदगी को घरेलू स्तर

पर ही प्रबन्धन किया जा सकता है। किचन अथवा स्नानगृह से प्रयोग के उपरान्त निकले अवशेष पानी के प्रबन्धन हेतु सोखता गड्ढा बनाया जा सकता है अथवा निकास नाली बनाकर सार्वजनिक निकास नाली में जोड़ा जा सकता है। उक्त पानी का घर के बगीचे (किचन गार्डन) में उपयोग कर सब्जी उत्पादन इत्यादि से भी लाभ लिया जा सकता है।



लीच पिट शौचालय का डिजाइन


उक्त के अतिरिक्त काला पानी (शौचालय में प्रयोग के बाद अवशेष जल) को घरेलू स्तर पर प्रबन्धन हेतु लीच पिट बनाया जा सकता है ताकि मल के साथ बहाया गया पानी इधर-उधर फैलने के बजाये भूमि में अवशोषित हो जाये। उक्त के अतिरिक्त जहां पर सीवर लाईन की व्यवस्था है वहां पर घरेलू शौचालय का संयोजन सीवर लाईन से किया जा सकता है, जिसका प्रबन्धन सार्वजनिक स्तर पर किया जाना आवश्यक है।

2. सामुदायिक स्तर पर प्रबन्धन (Management at Community Level):

कूड़े-कचरे का निस्तारण केवल पारिवारिक स्तर पर ठीक से नहीं हो पाता अथवा कचरे की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि पारिवारिक स्तर पर प्रबन्धन कठिन हो जाता है वहाँ पारिवारिक स्तर पर प्रबन्धन के साथ-साथ सामुदायिक स्तर से प्रबन्धन किया जाता है। कुछ कचरे की प्रकृति ऐसी होती है जो कि वे सामुदायिक स्तर से ही उपचारित (Treated) किये जा सकते हैं। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित सामुदायिक उपाय किये जा सकते हैं।

(क) ठोस कचरे का सामुदायिक स्तर पर प्रबन्धन (Solid Waste Management at Community Level):

समस्त घरों से एकत्र ठोस जैविक अथवा अजैविक कूड़ा एकत्र करने हेतु ग्राम पंचायत में मजरे/तोक स्तर पर अथवा आवश्यकतानुसार सार्वजनिक कूड़ादानों का निर्माण कराया जा सकता है। सार्वजनिक कूड़ादानों में भी जैविक एवं अजैविक कूड़ादान का निर्माण आवश्यक है। जैविक कूड़ादानों से एकत्र कूड़े को भी खाद



बनाने में उपयोग किया जा सकता है अथवा चिमनीयुक्त (Incinerator) कूड़ादान का निर्माण कर इसे सुरक्षित तरीके से जलाया भी जा सकता है।

अजैविक कचरे का उपचार घरेलू स्तर पर नहीं हो सकता है। अजैविक कूड़े के निस्तारण हेतु अलग से कूड़ादान बनाया जा सकता है एवं इसमें एकत्र सामग्री को पुर्नचक्रण (Recycle) करने हेतु स्थानीय बाजार में बेचा जा सकता है, जिससे गांव की स्वच्छता बनी रहेगी एवं आय उत्पादन भी हो सकेगा।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर पॉलीथीन के प्रयोग पर रोक लगाकर भी इस समस्या से काफी हद तक निजात पायी जा सकती है, पॉलीथीन को जलाया जाना स्वास्थ्य के लिये अत्यधिक हानिकारक होता है।


(ख) तरल अपशिष्ट का सामुदायिक स्तर पर प्रबन्धन (Liquid Waste Management at Community Level):

भूरा पानी (रसोई एवं बाथरूम से निकला पानी) को सामुदायिक स्तर पर प्रबन्धन हेतु गांव में सार्वजनिक नालियां बनायी जा सकती हैं, एवं सभी घरों से



निकले पानी को सार्वजनिक नाली से जोड़ा जा सकता है। उक्त हेतु आवश्यक है कि निकास नाली के अन्तिम निस्तारण (End of Drain) में सावधानी बरती जाये। अन्तिम निस्तारण किसी नाले अथवा नदी में करने से पूर्व उस पानी को उपचारित (Treatment) आवश्यक रूप से कर लिया जाये, सिल्ट कैचर अथवा फिल्टर बनाकर इसे उपचारित किया जा सकता है। उक्त जल का प्रयोग उपचार के उपरान्त सिंचाई में भी किया जा सकता है इस हेतु निकास नाली के अन्तिम छोर पर एक संग्रहण जलाशय बनाकर, पानी एकत्र करने के उपरान्त सिंचाई की जा सकती है।

काला पानी (शौचालय में प्रयोग के उपरान्त अवशेष जल) को सामुदायिक स्तर पर प्रबन्धन हेतु सीवर लाईन बनायी जा सकती है एवं सभी घरों के शौचालयों को सीवर लाईन से जोड़ा जा सकता है। सीवर लाईन के अन्तिम निस्तारण हेतु भी सावधानी बरतनी आवश्यक है, इसे नदी/नाले में खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिये। उक्त के निस्तारण हेतु सार्वजनिक लीच पिट का भी प्रयोग किया जा सकता है अथवा उपचारित (Treatment) करने के उपरान्त सिंचाई हेतु प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में इसे उपचारित किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक लीच पिट में ही सुरक्षित निपटान किया जा सकता है।



डा. रमेश बडोला
पर्यावरण विशेषज्ञ
पी.एम.यू.—देहरादून

डा. रन्नो यादव
महिला विकास विशेषज्ञ
पी.एम.यू.—देहरादून



निर्मल भारत अभियान के साथ मनरेगा एवं इन्दिरा आवास योजना का युगपितीकरण

ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1999 में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान प्रारम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता तथा स्वास्थ्य, शिक्षा को बढ़ावा देते हुए स्वच्छता सुविधाओं के लिए माँग सृजित की जानी है। स्वच्छता का यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से समुदाय आधारित है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार भी शुरू किया गया। निर्मल ग्राम पुरस्कार की सफलता से प्रोत्साहित होकर सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम माह जून, 2012 में परिवर्तित कर निर्मल भारत अभियान किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता आच्छादन में तेजी लाना है ताकि नई कार्यनीतियों और संतृप्तिकरण दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को व्यापक रूप से शामिल किया जा सके।

“समुदाय नेतृत्व निर्मित” और जनकेंद्रित कार्यनीतियों तथा सामुदायिक संतृप्तिकरण दृष्टिकोण अपनाते हुए ग्रामीण भारत को निर्मल भारत में परिवर्तित करने की रणनीति है। जागरूकता सृजन और घरों, विद्यालयों में स्वच्छता सुविधाओं के सृजन की माँग सृजित करने तथा स्वच्छ वातावरण पर जोर देते हुए **“माँग उन्मुख दृष्टिकोण”** को जारी रखा गया है। समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक सुपुर्दगी तंत्र अपनाये जायेंगे। सबसे गरीब परिवारों को निजी पारिवारिक शौचालय इकाइयों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था को विस्तृत किया गया है ताकि अन्य जरूरतमंद परिवारों को भी शामिल किया जा सके और इस तरह सामुदायिक परिणाम हासिल किये जा सकें। सृजित स्वच्छता सुविधाओं के स्थायित्व के लिए ग्राम पंचायत में पानी की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है। ग्रामीण विद्यालय स्वच्छता एक प्रमुख घटक है और ग्रामीण लोगों द्वारा स्वच्छता को व्यापक रूप से स्वीकार करने का प्रवेश बिंदु है। उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं और स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, व्यापक प्रौद्योगिकी विकल्प उपलब्ध कराये जा रहे हैं। गहन आई.ई.सी. अभियान इस कार्यक्रम का आधार है। जिसमें पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी समितियों, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला समूह, स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन इत्यादि सम्मिलित हैं। कॉरपोरेट सोशल उत्तरदायित्वों को सम्मिलित करने की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है। निर्मल भारत अभियान की क्रियान्वयन प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शी प्रणाली शुरू की जा रही है, जिसमें सामाजिक लेखा परीक्षा और सक्रिय जनभागीदारी



सम्मिलित है। निधि उपलब्धता के साथ ग्रामीण परिवारों की मदद करने के लिए मनरेगा (MGNREGS) तथा इन्दिरा आवास योजना (I.A.Y.) के साथ तालमेल करना भी महत्वपूर्ण है ताकि वे खुद की स्वच्छता सुविधाएं सृजित करने के लिए धन हासिल कर सकें।

1. व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु निर्मल भारत अभियान एवं मनरेगा के साथ युगपितीकरण के प्राविधान :-

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण स्वच्छता के स्तर को बढ़ाने हेतु व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों, विद्यालय शौचालयों, आंगनवाड़ी केन्द्र में शौचालय निर्माण तथा सामुदायिक स्वच्छता काम्पलैक्स हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश संशोधित किये जाते रहे हैं। कार्यक्रम में समन्वय स्थापित किये जाने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्मल भारत अभियान एवं महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (MGNREGS) के अन्तर्गत सामंजस्य स्थापित किये जाने हेतु दिशा-निर्देशानुसार व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण से सम्बन्धित कार्यों हेतु निम्नानुसार संशोधन किये गये हैं:

1. व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण से सम्बन्धित कार्य या तो निर्मल भारत अभियान के साथ युगपितीकरण के माध्यम से कराये जा सकते हैं या महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (MGNREGS) के अन्तर्गत स्वतंत्र रूप से कराये जा सकते हैं। यह लाभार्थी की इच्छा पर निर्भर करता है, किन्तु लाभार्थी को दोनों विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना होगा।
2. जहाँ पर व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्मल भारत अभियान के साथ मनरेगा से युगपितीकरण के द्वारा लिये गये हैं। वहाँ मनरेगा घटक के अन्तर्गत पूर्व प्राविधानित ₹4500.00/- के स्थान पर ₹5400.00/- धनराशि की बढ़ोत्तरी की गयी है।
3. जहाँ पर मनरेगा के अन्तर्गत शौचालयों के निर्माण स्वतंत्र/पृथक रूप से कराये जायेंगे वहाँ पर निम्न तथ्यों को ध्यान में रखा जायेगा:
 - i) भुगतान निर्मित कराये गये कार्यों के वास्तविक मूल्य के आधार पर किया जायेगा। सिर्फ मनरेगा के अन्तर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण हेतु अधिकतम ₹10000.00 (मजदूरी एवं सामग्री की दर को सम्मिलित करते हुए) होगी। इससे अतिरिक्त व्यय होने पर लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
 - ii) शौचालयों की डिजाइन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होगा।



- iii) उक्त घरेलू शौचालयों से सम्बन्धित सूचनाओं को क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा आपस में आदान-प्रदान किया जायेगा तथा निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि लाभार्थी को निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत प्रोत्साहन धनराशि का दोबारा भुगतान न किया जाय। निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जाय कि युगपितीकरण के माध्यम से एवं मनरेगा के अन्तर्गत स्वतंत्र रूप से निर्मित होने वाले शौचालयों के भुगतान में दोहराव की स्थिति न हो, जिस हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर उत्तरदायी क्रियान्वयन एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा।
 - iv) ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण स्वच्छता कार्यो को सम्मिलित करते हुए जो कार्य लिये जायेंगे वह उपरोक्त दिशा-निर्देशों के आधार पर लिये जायेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर सामग्री की दर के साथ कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी को सम्मिलित करते हुए 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये।
 4. निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत युगपितीकरण के माध्यम से एवं मनरेगा के अन्तर्गत स्वतंत्र रूप से निर्मित होने वाले शौचालयों की IMIS पर पृथक से एन्ट्री की जायेगी।
2. व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु निर्मल भारत अभियान एवं इन्दिरा आवास योजना के साथ युगपितीकरण:

निर्मल भारत अभियान की गाइड लाइन के पैरा संख्या-5.4.2 में वर्णित किया गया है कि "वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय की एक इकाई के निर्माण के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवार/निर्धारित एपीएल परिवार को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि ₹4600.00 होगी (दुर्गम तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ₹5100.00)। इसमें केंद्रीय अंश ₹3200.00 होगा (पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए ₹3700.00) तथा राज्य सरकार का अंश ₹1400.00 होगा। न्यूनतम लाभार्थी अंशदान नकद अथवा श्रम के रूप में ₹900.00 होगा। राज्य सरकारों को यह छूट दी गई है कि वे चाहें तो स्वयं की निधियों से इसी इकाई लागत अथवा इससे अधिक इकाई लागत के आधार पर एक पारिवारिक शौचालय के लिए इससे अधिक प्रोत्साहन राशि दे सकती हैं। केन्द्रीय अथवा राज्य सहायता से बनाए गए सभी मकानों में निरपवाद रूप से अभिन्न हिस्सों के रूप में उपयुक्त स्वच्छता सुविधा होनी चाहिए। फिर भी, इंदिरा आवास योजना अथवा किसी अन्य राज्य आवास योजना के तहत लाभार्थियों द्वारा बनाए गए सभी मकान, जिनमें शौचालय नहीं हैं, वे मकान भी निर्मल भारत अभियान के तहत लक्ष्य में रखे



गए समूहों के अन्तर्गत स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण के लिए उपरोक्तानुसार वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे”।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले लाभार्थियों के भवनों में शौचालय निर्माण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जाने का प्राविधान किया गया है। निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत सामंजस्य स्थापित करने हेतु जनपद स्तर पर इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले इन्दिरा आवासों में शौचालय निर्माण हेतु धनराशि निर्मल भारत अभियान से कार्यदायी विभाग (जिला ग्राम्य विकास अभिकरण) को दो किस्तों में उपलब्ध करायी जायेगी।

बीरेन्द्र भट्ट

सामुदायिक विकास विशेषज्ञ,
पी.एम.यू.



समुदाय हेतु संचालन एवं रखरखाव नीति

भूमिका:

सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित ग्रामों/बस्तियों में क्रियान्वयन चरण के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जिला क्रियान्वयन एजेंसी (District Implementing Agency 'DIA') द्वारा समुदाय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य संचालन एवं रखरखाव व्यवस्था को स्थापित करना है। समुदाय आधारित संसाधनों के प्रबन्धन की दिशा में प्रायः यह देखा गया है कि यदि संचालन एवं रखरखाव सही तरीके से नहीं किया जाता है तो सार्वजनिक परिसम्पतियाँ (पेयजल योजना एवं स्वच्छता व्यवस्था) अपेक्षित समय तक प्रभावी/क्रियाशील नहीं रहती, जिससे सेवा स्तर में गिरावट आने से परियोजनायें धीरे-धीरे आंशिक क्रियाशील से अक्रियाशील या अलाभकारी सिद्ध होती है। पेयजल एवं स्वच्छता से आत्मार्पित परियोजनाओं में इसका प्रभाव स्वास्थ्य एवं सामुदायिक व्यवस्था आदि लक्षित लाभों पर पड़ेगा।

प्रभावी संचालन एवं रखरखाव व्यवस्था के अभाव में परियोजना लागत के पूर्णतः अथवा अंशतः नुकसान होने तथा लाभार्थियों के लिये असमय मरम्मत एवं सुधार के कार्यों में अकारण व्यय/निवेश की आवश्यकता की परिस्थितियाँ जन्म लेती हैं। अतः समुदाय आधारित परियोजनाओं के स्थायित्व तथा लक्षित समय तक क्रियाशीलता हेतु सही संचालन एवं रखरखाव व्यवस्था की स्थापना एक अपरिहार्य आवश्यकता होती है। पेयजल योजनाओं के निर्माण के पश्चात् जिला क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति को संचालन एवं रखरखाव व्यवस्था की स्थापना हेतु यथोचित संस्थागत/सामाजिक, तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग दिया जाना चाहिए। इस हेतु जिला क्रियान्वयन एजेंसी तथा उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति के स्तर पर किये जाने वाले मुख्य कार्यों की सूची निम्नवत् प्रस्तुत है:

अ. संस्थागत/सामाजिक

1. उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति/जल प्रबन्धन समिति/ग्राम पंचायत द्वारा जल मूल्य का निर्धारण एवं निरंतरता से संग्रह करना।
2. समुदाय द्वारा पेयजल, स्वच्छता एवं जल ग्रहण क्षेत्र संरक्षण कार्यों का सामाजिक ऑडिट करना।
3. नियमित रूप से उपभोक्ताओं को लक्षित सेवा उपलब्ध कराते हुए संतुष्टि को सुनिश्चित करना।
4. ग्राम स्तर पर आने वाली शिकायतों, मरम्मत के निदान हेतु निराकरण प्रणाली को स्थापित करना।



5. लाभार्थी समुदाय/उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति/जल प्रबंधन समिति/ग्राम पंचायत/पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका एवं दायित्वों का सशक्तिकरण करना।
6. संचालन एवं रखरखाव चरण में मरम्मत सम्बन्धी कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री के क्रय करने हेतु स्पष्ट कार्य विभाजन करना।
7. समुदाय द्वारा स्वच्छ घर सर्वेक्षण एवं स्वच्छता अभियान का संचालन करना।
8. उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता समितियों की नियमावली (बाईलाज) तथा उनमें दिए गए प्राविधानों जैसे; निजी स्टैंड पोस्ट तथा घरेलू कनेक्शन के शुल्क के बकायादारों पर लगाया जाने वाला दण्ड ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि तथा समुदाय की उपस्थिति में बैठक में विचार किया जाएगा।
9. पेयजल योजना के रखरखाव हेतु कार्मिक नियुक्त करना तथा उसके दैनिक कार्यों का निर्धारण एवं मासिक वेतन प्रदान करना।
10. उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति को आवश्यकतानुसार समय-समय पर प्रशिक्षण देना।
11. खुले में शौच की कुप्रथा की रोकथाम हेतु अर्थ दण्ड/बहिष्कार आदि के सामाजिक दण्डों की व्यवस्था कर बन्द करना।
12. उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति एवं समुदाय स्तर पर आम बैठकों का नियमित रूप से आयोजित करना।

ब. तकनीकी

1. समुदाय द्वारा पेयजल, स्वच्छता एवं जल संवर्द्धन कार्यों का तकनीकी ऑडिट करना।
2. फिल्ट्रेशन इकाईयों की नियमित सफाई तथा क्लोरीनेशन हेतु प्रणाली स्थापित करना।
3. पेयजल योजना की मरम्मत के निवारण के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करना।
4. पेयजल गुणवत्ता एवं देखरेख करने हेतु प्रणाली स्थापित करना।
5. घरेलू तथा संस्थागत शौचालयों के नियमित रूप से प्रयोग की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
6. ठोस एवं तरल कूड़े का सुनियोजित तरीके से निपटान करना।
7. पेयजल योजना एवं वितरण प्रणाली का नियमित रूप से अनुश्रवण करना।



स. वित्तीय

1. शुल्क संग्रह (मांग तथा संग्रह रजिस्टर), व्यय तथा मरम्मत कार्यों का रिकार्ड रखना।
2. यदि समुदाय ने शुल्क एकत्र करना प्रारंभ नहीं किया है तो बहिर्गमन दिवस (Exit Day) को शुल्क एकत्र करना प्रारंभ करना चाहिए। कोषाध्यक्ष इसके लिए रसीद जारी करेंगे (तथा आवश्यकतानुसार बिल जारी करना)।
3. बीमा विकल्प: पेयजल योजनाओं के बीमा संबंधी मुद्दों, प्रीमियम की लागत, प्रति गृह अंशदान, आवश्यक कागजी कार्यवाही आदि पर समुदाय के साथ विचार किया जाना।
4. बैंक खाता पास बुक (संचालन तथा रखरखाव) उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों के पास उपलब्ध है।
5. दैनिक पुस्तिका, मांग तथा संग्रह रजिस्टर, रसीद पुस्तिका तथा स्टाफ पुस्तिका उपभोक्ता जल तथा स्वच्छता उप समितियों के पास उपलब्ध हैं।

बहिर्गमन रणनीति (Exit Policy)

बहिर्गमन, सहयोगी संस्था तथा जिला क्रियान्वयन एजेन्सी के ग्राम से धीरे-धीरे वापसी की प्रक्रिया है। यह माना जाता है कि अब समुदाय अपनी जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाओं का स्वयं ही संचालन तथा रखरखाव के लिए सक्षम हो गया है। इस दिशा में बहिर्गमन एक अंतिम दौर है, बहिर्गमन का अर्थ यह है कि समुदाय स्वयं द्वारा निर्मित परिसंपत्तियों का मालिकाना हक प्राप्त कर चुकी है और संचालन तथा रखरखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं लेती है। यह प्रक्रिया उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन ग्राम का चयन किया गया था और इस प्रक्रिया का अंत ग्राम आत्मापण कार्यक्रम के रूप में ग्राम में 24 घण्टे बिताकर किया जाता है। बहिर्गमन के निम्न चरण होंगे:

अ. बहिर्गमन की पूर्व शर्तें:

संस्थागत/सामाजिक:

1. ग्राम पंचायत/उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समितियों ने क्रियान्वयन चरण के अन्तर्गत संचालन तथा रखरखाव व्यवस्था को स्थापित करने का कार्य पूरा कर लिया है।
2. पेयजल योजना रखरखाव कार्यकर्ता नियुक्त कर लिया गया है।
3. ग्राम पंचायत के सभी प्रतिनिधि तथा ग्राम के बुजुर्गों को बहिर्गमन के दिन निमंत्रित किया गया है।
4. उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समितियों के बाईलाज को ग्राम पंचायत ने स्वीकार कर लिया है तथा ग्राम सभा द्वारा इसकी पुष्टि कर ली गयी है।



तकनीकी:

1. बहिर्गमन की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) में दिए गए सभी निर्माण कार्य तथा उसके पश्चात स्वीकृत अतिरिक्त कार्य सम्पन्न कर लिए गए हैं।
2. क्लोरिनेटर लगाया जा चुका है तथा उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति के पास ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध है।
3. क्लोरोस्कोप / H_2S स्ट्रिप उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति के पास उपलब्ध है।

वित्तीय:

1. ग्राम पंचायत / उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समितियों का क्रियान्वयन लेखा समायोजित किया जा चुका है तथा उसके विषय में ग्राम पंचायत तथा उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति को पूर्ण सूचना दी जा चुकी है।
2. सभी लंबित भुगतान जैसे; मजदूरी, को ग्राम स्तर पर भुगतान या समायोजित किया जा चुका है।
3. दैनिक पुस्तिका, माँग तथा संग्रह रजिस्टर, रसीद पुस्तिका तथा स्टाफ पुस्तिका उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समितियों के पास उपलब्ध हैं।
4. बैंक खाता पास बुक (संचालन तथा रखरखाव) उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समितियों के पास उपलब्ध है।

ब. बहिर्गमन की प्रक्रिया:

बहिर्गमन 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें ग्राम में 1 रात्रि के लिए रुकना भी सम्मिलित है। बहिर्गमन के दौरान 3 प्रमुख गतिविधियां निम्न प्रकार हैं:

1. स्वच्छ गृह सर्वे को 5 संसूचकों के आधार पर किया जाए जैसे; 1. खाना खाने के पूर्व हाथों को धोना, 2. शौच के पश्चात हाथों को धोना, 3. बच्चों के मल का सुरक्षित ढंग से निस्तारण, 4. पीने तथा भोजन तैयार करने के लिए सुरक्षित जल का उपयोग तथा 5. शौच के लिए अपने घरेलू शौचालयों का उपयोग।
2. पेयजल योजना का दीर्घकालिकता अभ्यास किया जाना तथा इसके परिणामों को विचार-विमर्श हेतु समुदाय बैठक में रखा जाना।



स. समुदाय की बैठक:

समुदाय की बैठक में निम्न लिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया जाता है:

संस्थागत / सामाजिक:

1. अतिरिक्त शौचालयों के निर्माण की मांग की स्थिति में उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति को इसका मूल्यांकन करना होगा और निर्माण किए जाने वाले शौचालयों की संख्या तथा उसमें लगने वाली अवधि के विषय में विस्तृत प्रस्ताव जमा कराना होगा।
2. उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समितियों के बाईलाज तथा उनमें दिए गए प्राविधानों जैसे निजी एवं सार्वजनिक स्टैंड पोस्टों का शुल्क तथा बकायादारों पर लगाया जाने वाला दण्ड ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि तथा समुदाय की उपस्थिति में बैठक में विचारित किया जाएगा।
3. स्वच्छ गृह सर्वे के परिणामों पर विचार-विमर्श।

तकनीकी:

क्लोरोनिकरण की प्रक्रिया जिसमें डोजिंग भी सम्मिलित है (प्रक्रिया को रखरखाव पंजिका में लिखा जाना चाहिए)।

1. ब्लीचिंग पाउडर की उपलब्धता (पता/स्थान जहां से उसे खरीदा जा सकता है, रखरखाव पंजिका में लिखा जाना चाहिए)।
2. फिल्ट्रेशन इकाईयों की नियमित अवधि में सफाई तथा रिचार्जिंग के विषय में प्रशिक्षण उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समितियों तथा ग्राम रखरखाव कार्यकर्ता को दिया जाना चाहिए।

वित्तीय:

1. शुल्क संग्रह (मांग तथा संग्रह रजिस्टर), व्यय तथा मरम्मत कार्य का रिकार्ड रखना। समुदाय को रजिस्टर में अपना स्वयं का प्रारूप तैयार करना चाहिए।
2. यदि समुदाय ने शुल्क एकत्र करना प्रारंभ नहीं किया है तो बहिर्गमन दिवस को शुल्क एकत्र करना प्रारंभ करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। कोषाध्यक्ष इसके लिए रसीद जारी करेंगे (यदि आवश्यक हुआ तो बिल जारी करेंगे)।



3. बीमा विकल्प: आवश्यकता अनुसार बीमा सम्बन्धी मुद्दे, वे संरचनाएं जिनका बीमा किया जाना है, प्रीमियम की लागत, प्रति गृह अंशदान से सम्बन्धित कार्यवाही जो कि की जानी आवश्यक है इत्यादि पर समुदाय के साथ विचार किया जाएगा।
4. समुदाय को यह सुनिश्चित कराया जाएगा की कोई भुगतान बकाया नहीं है।

य. उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति को दिए जाने वाले दस्तावेज

1. क्रियान्वयन चरण की सम्पूर्णता आख्या की एक अंतिम प्रति जिस पर हस्ताक्षर हों।
2. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा अतिरिक्त स्वीकृतियों की एक प्रति, यदि वह समुदाय के पास उपलब्ध न हो।
3. स्वीकृत अंतिम लेखा या लागत सीट की एक प्रति।
4. संचालन तथा रखरखाव पर तकनीकी आयामों हेतु (यथा क्लोरिनीकरण मापन अवशेष क्लोरीन) परियोजना द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश।
5. जिला क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न दस्तावेज तथा मुद्रित सामग्री को उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समितियों को दिया जाएगा।
6. संचालन तथा रखरखाव पुस्तिका।
7. अंतरदेशी पत्रों का एक सेट उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समितियों को दिया जाएगा (संचालन तथा रखरखाव चरण में संचार हेतु उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समितियों में वे पत्र जो निर्धारित प्रारूप में समय-समय पर जिला क्रियान्वयन एजेन्सी को लिखे जाएंगे)।
8. संपूर्ण परियोजना को आच्छादित करने के लिए बीमा सम्बन्धी प्रारूप।
9. परियोजना/कार्यक्रम के प्रकाशन, यदि उपलब्ध न हो तो उसे भविष्य में दे देना सम्बन्धी वचन।
10. क्लोरोस्पोक/H₂S स्ट्रिप दिया जाना, यदि पहले न दिया गया हो।
11. हैंडपम्प परियोजना की स्थिति में औजारों के किट का एक सेट, यदि पहले न दिया गया हो।

बहिर्गमन एक संवेदनशील घटना है क्योंकि सहयोगी संस्था तथा जिला क्रियान्वयन एजेन्सी (District Implementing Agency 'DIA') ने समुदाय के साथ मिलकर 36 महीनों तक कार्य किया है और इस प्रक्रिया में आपसी रिश्ते कायम कर लिए हैं। अतः इस घटना को अंजाम देने के



लिए सभी प्रकार की सतर्कता बरतनी चाहिए, जिससे की यह परियोजना में लगे सभी सहभागियों की स्मृति में हमेशा बना रहे। बहिर्गमन प्रक्रिया का ग्राम स्तर पर दस्तावेजीकरण (फोटोग्राफी तथा रिपोर्टिंग) करना चाहिए।

सैक्टर कार्यक्रम बहिर्गमन सारपत्रक

1. योजना का नाम :
2. राजस्व ग्राम/ग्रामों का नाम :
3. योजना में सम्मिलित समस्त तोकों का नाम :
4. योजना में सम्मिलित तोकों की संख्या :
5. नियोजन चरण प्रारम्भ होने की तिथि :
6. नियोजन चरण अवधि :
7. नियोजन चरण पूर्ण होने की तिथि :
8. क्रियान्वयन चरण प्रारम्भ होने की तिथि :
9. क्रियान्वयन चरण अवधि :
10. क्रियान्वयन चरण पूर्ण होने की तिथि :
11. सहयोगी संस्था का नाम एवं पत्राचार का पता :
12. सहयोगी संस्था के मुख्य संदर्भ व्यक्ति का नाम :
13. योजना की लागत (₹ लाख में) :
 - अ. डी.पी.आर. के अनुसार :
 - ब. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र के अनुसार :
 - (i) योजना प्रारम्भ की तिथि :
 - (ii) योजना पूर्ण होने की तिथि :
 - (iii) आत्मार्पण की तिथि :
 - (iv) आत्मार्पण के समय उपलब्ध कराये गये अभिलेख एवं अन्य सामग्री का विवरण :
 - (v) नियोजन चरण प्रस्ताव पंजिका :



- (vi) नियोजन चरण अंशदान पंजिका :
- (vii) क्रियान्वयन चरण अनुबन्ध :
- (viii) डी.पी.आर. :
- (ix) क्रियान्वयन चरण प्रस्ताव पंजिका :
- (x) आई.पी.सी.आर. :
- (xi) वी.डब्ल्यू.एस.एस.सी. बाईलॉज (ग्राम पंचायत की बैठक में स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के हस्ताक्षर की तिथि तथा प्रस्ताव संख्या सहित) :
- (xii) सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार परिसम्पत्तियों की सूची (ग्राम पंचायत की परिसम्पत्ति पंजिका में अंकन की तिथि क्रमांक एवं पृष्ठ संख्या तथा प्रस्ताव संख्या ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव के हस्ताक्षर सहित) आत्मार्पण के समय उपस्थित पदाधिकारी / कर्मचारी / अधिकारियों का विवरण एवं हस्ताक्षर सहित आत्मार्पण प्रस्ताव एवं बैठक की आख्या :
- (xiii) ग्राम प्रधान / अध्यक्ष, यू.डब्ल्यू.एस.एस.सी. के नाम / हस्ताक्षर एवं दिनांक :
- (xiv) कोषाध्यक्ष, यू.डब्ल्यू.एस.एस.सी. के नाम / हस्ताक्षर एवं दिनांक :
- (xv) ग्राम पंचायत, विकास अधिकारी के नाम / हस्ताक्षर एवं दिनांक :
- (xvi) वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति सम्बन्धी प्रपत्र :
- (xvii) उपस्थित सहयोगी संस्था पदाधिकारियों के नाम / हस्ताक्षर एवं दिनांक :
- (xviii) अन्य उपस्थित कर्मचारियों / डी.पी.एम.यू. / डी.आई.ए. प्रतिनिधियों / अधिकारियों के नाम / हस्ताक्षर एवं दिनांक :

श्रीमती पार्वती देवी, ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत—झूणी,
विकासखण्ड—बिण, पितौरागढ़



क्षेत्र सुधार परियोजना सामुहिक शक्ति एवं आत्म विश्वास से प्राप्त कर रहे हैं शुद्ध पेयजल

सारांश:

स्वजल परियोजना द्वारा संचालित, समुदाय आधारित क्षेत्र सुधार परियोजना (Sector Reform Project) के तहत वर्ष 2003 में पेयजल योजना निर्माण हेतु ग्राम फेरूपुर का चयन किया गया। ग्राम फेरूपुर में आरम्भ में ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, किन्तु ग्रामवासियों को इसका एहसास नहीं था, गांव में अधिकतम परिवार कम गहराई वाले निजी हैंडपम्पों (Shallow Hand Pump) का प्रयोग कर रहे थे, गांव में कुल 18 अधिक गहराई वाले हैंडपम्प (Deep Bore) उपलब्ध थे, जो कि सम्पूर्ण गांव की आवश्यकता की पूर्ती नहीं कर पा रहे थे, लगभग 600 परिवार वाले इस गांव में सैक्टर रिफार्म योजना के विषय में जानकारी होने के उपरान्त समुदाय द्वारा नियोजन, क्रियान्वयन में स्वजल परियोजना का पूर्ण सहयोग किया गया एवं स्वयं संचालन एवं रखरखाव हेतु कदम बढ़ाये।

परिणामस्वरूप गांव में ₹18.73 लाख की पेयजल योजना को मूर्तरूप दिया गया एवं वर्तमान में पेयजल योजना का सफल संचालन उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति फेरूपुर द्वारा किया जा रहा है। समस्त ग्रामवासियों को ससमय पर्याप्त शुद्ध पेयजल ससमय उपलब्ध हो रहा है। उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति द्वारा सभी आय-व्यय का लेखा-जोखा रखा जा रहा है, सभी परिवार ससमय मासिक शुल्क देकर आय को बढ़ाने में सहयोग किया जा रहा है एवं समिति द्वारा सभी आवश्यक देयकों को ससमय अदा कर पेयजल योजना का सुचारु संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति फेरूपुर के बैंक खाते में कुल ₹180000.00 बचत के रूप में उपलब्ध हैं। सभी परिवार ₹50.00 प्रतिमाह शुल्क जमा किया जा रहा है एवं सभी देनदारियों को ससमय भुगतान कर योजना को सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है। समिति द्वारा आवश्यकतानुसार नये संयोजन भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं एवं समस्त दस्तावेजों को नियमित (Update) रखा जा रहा है।

प्रस्तावना:

जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड-बहादुराबाद का ग्राम फेरूपुर, हरिद्वार शहर से लगभग 8 कि.मी. की दूरी पर हरिद्वार-लक्सर मार्ग पर बसा हुआ है। गांव के बसने के साथ ही समुदाय द्वारा पेयजल की व्यवस्था हेतु गांव में कुएं बनाये गये थे, धीरे-धीरे नई तकनीकियों के आने पर ग्राम पंचायत में समुदाय द्वारा अपने घरों में कम गहराई वाले निजी हैंडपम्पों (Shallow Hand Pump) से पेयजल आपूर्ति की जाने लगी, क्योंकि गांव में भूमिगत पानी का तल ऊपर ही था (लगभग 10-20 फिट) तो गांव में पर्याप्त पानी मिल रहा था एवं ग्रामवासी पेयजल से संतुष्ट थे। समय के साथ-साथ प्रदूषण इत्यादि



बढ़ने के कारण प्रथम सतह (First Strata) का जल प्रदूषित हो रहा था, लेकिन ग्रामवासियों को इसका आभास नहीं हो रहा था, किन्तु इस ओर सरकार का ध्यान गया तो इस समस्या से निपटने के लिये सार्वजनिक तौर पर अधिक गहराई वाले हैण्डपम्प (Deep Bore) लगवाये गये एवं इन्हीं हैण्ड पम्पों से पेयजल लेने हेतु अधिक जोर दिया गया, किन्तु गांव में ग्रामवासियों द्वारा अपने लगाये गये हैण्डपम्पों से पेयजल आपूर्ति को अधिक आसान समझा एवं इनका प्रयोग निरन्तर होता रहा, कुल 18 डीप बोर हैण्डपम्पों से पूरे गांव की पेयजल आपूर्ति नहीं हो पायी तथा इनको सरकारी हैण्डपम्प की संज्ञा दी गयी एवं सार्वजनिक तौर पर समुदाय द्वारा इनके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया, परिणामतः अधिकतर हैण्डपम्प खराब हो गये थे अथवा तकनीकी कमियों के कारण प्रदूषित पानी दे रहे थे।

पृष्ठ भूमि:

ग्राम फेरूपुर, जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड राज्य के तराई क्षेत्र में स्थित होने के कारण पर्याप्त भूजल स्तर उपलब्ध होने से समुदाय द्वारा कम गहराई वाले निजी हैण्डपम्पों (Shallow hand pump) से प्रथम सतह (First Strata) का जल प्रयोग किया जाता है। उचित जल गुणवत्ता का अभाव होने के कारण गांव में पेयजल की समस्या थी, उक्त समस्या को ध्यान में रखते हुये, वर्ष 2003 में जनपद हरिद्वार में समुदाय आधारित सैक्टर रिफार्म परियोजना आरम्भ की गयी एवं इसी परियोजना में 3156 जनसंख्या वाले ग्राम फेरूपुर का चयन भी किया गया।

परियोजना मानको के अनुरूप, गांव के पूर्व साध्यता अध्ययन के दौरान सर्वेक्षण दल द्वारा गांव का सर्वे किया गया एवं ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल एवं योजना के बारे में समझाया गया तो ग्रामवासियों द्वारा कार्य करने हेतु सहमति दी गयी। नियोजन चरण आरम्भ करने हेतु गांव में बैठकें, समिति गठन इत्यादि प्रयास किये जाने लगे, किन्तु समुदाय द्वारा आरम्भ में सहयोग देने में संशय/आनाकानी होने लगी, प्रयास और अधिक तेज कर दिये गये एवं गांव के ही पंचायत प्रतिनिधियों के साथ-साथ कुछ नौजवानों को भी सम्मिलित किया गया। परियोजना की प्रक्रिया को समझाया गया, निरन्तर बैठकें की गयी। परियोजना की परिकल्पना को समझते ही ग्रामवासियों द्वारा स्वतः स्फूर्त होकर समिति बनाई गयी एवं सहयोगी संस्था के सहयोग से अंशदान एकत्र कर समिति के बैंक खाते में जमा किया गया। ₹300.00 प्रति परिवार अंशदान जमा किया, साथ ही पेयजल योजना निर्माण हेतु ट्यूब वेल, उच्च जलाशय एवं पम्प हाउस की जगह सुनिश्चित करने के साथ ही पाईप लाईन के सर्वेक्षण, डी.पी.एम.यू. एवं संस्था अभियन्ताओं के सहयोग से पूर्ण किया गया एवं विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर लिया गया। समुदाय के सहयोग से ₹18.73 लाख की लागत से डिजाइन जनसंख्या 4662 एवं 40 ली./व्यक्ति/प्रतिदिन को आधार मानकर 51 मी. गहरे नलकूप के साथ-साथ 80 कि.ली. का उच्च जलाशय निर्माण किया गया एवं 4545 मी. मुख्य पाईप लाईन (Supply & Distribution main) सम्पूर्ण गांव में बिछाई जाने लगी।

उक्त से सभी ग्रामवासी उत्साहित तो थे, किन्तु आरम्भ में संयोजन लेने हेतु तत्परता नहीं दिखा रहे थे, उक्त हेतु उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति की बैठक में निर्णय लिया गया



कि पाईप लाईन बिछाने के समय जो परिवार निजी संयोजन हेतु आवश्यक सामग्री ले आरेंगे उनका संयोजन समिति द्वारा करवा दिया जायेगा एवं व्यक्तिगत तौर पर संयोजन हेतु खुदाई तथा फिटर की मजदूरी नहीं देनी होगी। उक्त सूचना से गांव में खुशी की लहर दौड़ गयी एवं मुख्य पाईप लाईन के साथ ही लगभग 100 परिवार द्वारा निजी संयोजन ले लिया गया। योजना पूर्ण होने के उपरान्त ग्राम वासियों द्वारा विद्युत संयोजन लिया गया एवं योजना का शुभारम्भ नवम्बर, 2005 में तत्कालीन जिलाधिकारी आर.के. सुधांसु एवं मुख्य विकास अधिकारी श्री डी. सैथियल पांडियन की उपस्थिति में शहरी विकास एवं वन मंत्री श्री नवप्रभात से करवाने के उपरान्त गांव में पेयजल आपूर्ति कर दी गयी। गांव में सभी परिवारों द्वारा सफल पेयजल योजना का गुणगान होने लगा एवं सभी के द्वारा अपनी पेयजल योजना कहकर ग्राम पंचायत एवं समिति के अथक प्रयासों को सराहाया जाने लगा। धीरे-धीरे गांव में संयोजनों की संख्या बढ़ने लगी एवं निजी संयोजनों की संख्या बढ़कर 200 हो गयी। सभी ग्रामवासी नवनिर्मित योजना से शुद्ध पेयजल प्राप्त कर रहे थे एवं स्वयं ही एहसास कर रहे थे कि वास्तव में कम गहराई वाले हैण्ड पम्पों का पानी शुद्ध नहीं था।



ग्राम फेरुपुर, जनपद-हरिद्वार का पम्प हाऊस एवं अवर जलाशय

उक्त योजना के सफल संचालन हेतु उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति फेरुपुर द्वारा बैठक की गयी एवं सामुदायिक नियमावली तैयार की गयी सर्व सहमति से रखरखाव कार्यकर्ता के रूप में श्री योगेन्द्र सैनी का चयन किया गया एवं रखरखाव कार्यकर्ता के कार्य दायित्वों को स्पष्ट करते हुये, ₹2000.00 प्रतिमाह मानदेय भी तय कर दिया गया। रखरखाव कार्यकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत एवं समिति के साथ-साथ समुदाय के सहयोग से योजना का संचालन सफलता पूर्वक किया गया एवं समस्त परिवारों से मासिक शुल्क भी जमा किया गया।

उद्देश्य एवं नीतियाँ:

समुदाय आधारित पेयजल योजना का मुख्य उद्देश्य, परियोजना की नीतियों के अनुरूप मांग एवं आवश्यकता के अनुसार नियोजन, क्रियान्वयन तथा संचालन एवं रखरखाव हेतु समुदाय की भूमिका सुनिश्चित करने के साथ-साथ समुदाय एवं पंचायती राज संस्थानों को सशक्त करना था। पेयजल योजना के खाका निर्माण के साथ-साथ सामुदायिक अंशदान एवं श्रमदान के माध्यम से समुदाय द्वारा पूर्ण भूमिका निभाई गयी तथा संचालन एवं रखरखाव हेतु शत-प्रतिशत जिम्मेदारी का निर्वाहन किया जा रहा है। परियोजना की नीतियों के तहत ही समुदाय द्वारा नियमित बैठकों, दीवार लेखनों, उचित दस्तावेजीकरण के माध्यम से संचालन एवं रखरखाव के दौरान भी पारदर्शिता को भी आत्मसात किया जा रहा है।



संचालन एवं रखरखाव:

वर्तमान में व्यक्तिगत संयोजनों की संख्या 400 होने के उपरान्त भी पर्याप्त पेयजल ग्रामवासियों को ससमय मिल रहा है एवं संयोजनों की मांग निरन्तर बढ़ रही है। नये संयोजन हेतु समिति द्वारा ₹ 3000.00 संयोजन शुल्क तय किया गया है। समिति द्वारा सभी देन दारियों (विद्युत बिल/ रखरखाव कार्यकर्ता का मानदेय एवं मरम्मत इत्यादि) को निपटाने के उपरान्त उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति फेरूपुर द्वारा ₹100000.00 का फिक्स डिपोजिट किया गया है एवं ₹ 80000.00 बैंक खाते में उपलब्ध हैं। रखरखाव कार्यकर्ता के कुशल संचालन को देखते हुए वर्तमान में कुल ₹ 6000.00 मानदेय कर दिया गया है एवं सभी परिवारों द्वारा ₹50.00 माह मासिक शुल्क के रूप में जमा किया जा रहा है।

ग्राम फेरूपुर के सभी ग्रामवासी इस बात से प्रसन्न हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल ससमय उपलब्ध हो रहा है एवं स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, साथ ही समय की बचत इत्यादि से वे घर के अथवा आजीविका के कार्यों में समय दे पा रहे हैं। यह स्वजल द्वारा संचालित समुदाय आधारित सैक्टर रिफार्म परियोजना एवं सामुहिक सहयोग के ही दीर्घकालीन परिणाम हैं।

योजना की सफलता के मुख्य बिन्दु:

योजना के सफल संचालन एवं रखरखाव हेतु उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति फेरूपुर द्वारा सशक्त समिति के रूप, नियमित बैठकें, उचित दस्तावेजीकरण, पारदर्शिता, से सामुदायिक सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। समिति द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार पेयजल योजना की संरचनाओं की नियमित मरम्मत/रखरखाव कार्य के साथ ही समय-समय पर उपभोक्ताओं की समस्या का निवारण भी सफलतापूर्वक किया जा रहा है। समिति द्वारा आय के स्रोतों में वृद्धि करने हेतु उपभोक्ताओं से नियमित मासिक शुल्क प्राप्त किया जा रहा है एवं सभी देयकों (विद्युत बिल, रखरखाव कार्यकर्ता का मानदेय आदि) का भुगतान ससमय करने से योजना का सफल संचालन किया जा रहा है।

प्रेरणा: समुदाय आधारित पेयजल योजना के नियोजन, क्रियान्वयन तथा संचालन एवं रखरखाव में पूर्ण भागीदारी से ग्राम पंचायत, समिति एवं समुदाय के आत्मविश्वास को बल मिला। स्वजल परियोजना के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण प्राप्त कर सभी व्यवहारिक एवं तकनीकी पहलुओं को समझा तथा ठोस रणनीति के तहत योजना का नियोजन एवं क्रियान्वयन किया गया एवं वर्तमान समय में आत्मविश्वास के साथ ही योजना का सफल संचालन एवं रखरखाव किया जा रहा है। ग्राम फेरूपुर की पेयजल योजना, अन्य ग्राम पंचायतों हेतु भी प्रेरणा स्रोत है।

डा. रमेश बडोला

पर्यावरण विशेषज्ञ
पी.एम.यू.-देहरादून

जे.के. जैन

तकनीकी सलाहकार
डी.पी.एम.यू.-हरिद्वार



अब वो दिन बीत गए

अब वो दिन बीत गये

जब सब यू ही रहा करते थे

कभी यहाँ तो—कभी वहाँ

सब संग में घूमा करते थे

गली, चौराहों, खेतों पर सब संग दौड़ा करते थे

कूड़ा—गोबर, मच्छर—मक्खी संग में बैठा करते थे

सुबह—सुबह सब लोग हाथ में

बोतल—डिब्बा लेकर फिरते थे

झाड़ी, जंगल, खेत, नदी को अक्सर ढूँढ़ा करते थे

सम्पूर्ण स्वच्छता नाम का एक अभियान स्वजल गाँव में ले कर आया

जिसने सबको स्वच्छता का मूल मंत्र बतलाया

निर्मल ग्राम बनाने का सपना सब को दिखलाया

अब कोई न डिब्बा ढूँढ़ेगा, और न कोई जंगल जाएगा

लिया प्रण अब गाँवों ने कि घर—घर शौचालय बनवायेंगे

और अपने गाँव का सौंदर्य बढ़ायेंगे

भारत चलता गाँवों से इस बात को सच कर दिखलायेंगे

निर्मल भारत अभियान को अब हम घर—घर तक पहुँचायेंगे

निर्मल भारत का सपना, सब मिलकर पूर्ण कर दिखलायेंगे

बालकृष्ण मेलकानी

सामुदायिक विकास विशेषज्ञ,

डी.पी.एम.यू., उधमसिंहनगर



जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, रूद्रप्रयाग - एक सन्देश

हमारे पूर्वज इस धरती पर अनादि काल से रह रहे हैं उन्होंने धरती में उपजे विभिन्न प्राणियों, वस्तुओं, पदार्थों का उपयोग किया तथा अपनी आने वाली सन्तानों के लिये इनका संरक्षण भी किया फलस्वरूप आज हमारे पास कई प्रकार के बीज हैं, जिनसे हमको फल, अनाज, सब्जियां, दालें, तेल आदि मिल रहा है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली आदि कई जानवरों का उपयोग हमारे लिये कितना उपयोगी है, समझाने की आवश्यकता नहीं है। घास, लकड़ी, कन्द मूल फल तथा अन्य कई प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। कई प्रकार की विद्या और अनेक प्रकार की औषधियां हैं, क्या-क्या नहीं छोड़ा है उन्होंने हमारे लिये।

सूर्य, चन्द्रमा, तारे, हवा, पानी, वातावरण, धरती को हमारे पूर्वजों ने सदैव सम्मान दिया तथा इनका पूजन भी किया। वे इनकी शुद्धि के लिये अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा, आरती, लेखन, तपस्या, दान, प्रवचन आदि करते थे। **आखिर वे ऐसा क्यों करते थे?**

क्योंकि इनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है इस सत्य को हम सब भी भली-भांति जानते हैं। कुछ लोग आज भी उनके बताये मार्ग का अनुसरण कर धरती माता को इस योग्य बनाने का पावन कार्य कर रहे हैं ताकि सूर्य, चन्द्र, तारे, हवा, पानी हमेशा हमको स्वस्थ, जीवन जीने के लिये दिशा एवं उर्जा देते रहें,।

हवा, पानी, वातावरण इस योग्य हो कि हम स्वस्थ रहकर अपनी पूरी क्षमताओं के साथ इस धरती को अपनी भावी पीढ़ियों के लिये सुरक्षित रखें जैसे; हमारे पूर्वजों ने हमारे लिये किया। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का आधार है। अतः हम सब का नैतिक कर्तव्य है कि हम अपना आचरण, अपना व्यवहार एवं अपनी भावना को हवा, पानी, वातावरण की निर्मलता के अनुरूप बनायें:-

- समय-समय पर अपने जल स्रोतों की जांच करें तथा पानी का उपचार अवश्य करें।
- अधिकांश बीमारियां गन्दा पानी पीने के कारण होती हैं तो कभी भी गन्दा पानी ना पियें।
- जल स्रोत घट रहे हैं तथा कुछ सूख भी रहे हैं इनके संरक्षण एवं संवर्द्धन का कार्य करें।
- भू-क्षरण को रोकने के लिये चैक-डैम, सुरक्षा दीवाल, खेतों के ढाल अन्तःमुखी बनायें।



- वृक्षारोपण करें, चाल-खाल-खन्ती बनायें, हरे पेड़ ना काटें, जल स्रोतों पर घास लगायें।
- अपने अपने गाँव में सक्रिय उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति का गठन करें।
- पेयजल स्रोत के आस-पास मल-मूत्र न करें, न करने दें इससे पानी गन्दा होता है।
- गोबर, कूड़ा-कचरा, गन्दा पानी एवं प्लास्टिक-पॉलीथीन का प्रबन्धन समझदारी से करें।
- खाना खाने से पहले एवं शौच के बाद साबुन से हाथ भली-भांति धोना कभी न भूलें।
- भोजन, पानी, फल, सब्जी को ढक कर रखें। कपड़े, नाखून, बाल, दांत, शरीर साफ रखें।
- गाँव के रास्ते, घर-आंगन, गौशाला, स्कूल, आंगनवाड़ी, पंचायती घर, मिलन केन्द्र, गाँव में संचालित कार्यालय, ग्रामीण बाजार, स्रोत, स्टैण्ड पोस्ट, नालियों आदि को साफ रखें।
- खुले में शौच न जायें, शौचालय बनाये एवं उपयोग करें छोटे बच्चों को शौचालय उपयोग करने की आदत डालें तथा छोटे बच्चों का मल शौचालय में ही डालें।
- प्रत्येक व्यक्ति, गाँव व पर्यावरण की साफ सफाई के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझें।

नरेश चमोली
सामुदायिक विकास विशेषज्ञ,
रूद्रप्रयाग



सन्देश

मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हो रही है कि स्वजल परियोजना के द्वारा निर्मल भारत अभियान को समर्पित स्वजल समाचार का प्रकाशन किया जा रहा है। यह पत्रिका राज्य की निर्मलता में मील का पत्थर साबित होगी।

स्वजल परियोजना की जनपदीय इकाईयाँ इसके लिये गाँव-गाँव जाकर स्वच्छता के लिये सराहनीय कार्य कर रही हैं। इससे स्वच्छता के साथ ही पर्यावरणीय शुद्धता, जल संवर्द्धन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन एवं व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

मैं पत्रिका के सफल सम्पादन व परियोजना के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ।

विधायक केदारनाथ, उत्तराखण्ड



शपथ पत्र

उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति:

ग्राम पंचायत :

विकास खण्ड :

मैं श्री पुत्र/पुत्री श्री
ग्राम पंचायत भगवानपुर जयसिंह, विकासखण्ड—हल्द्वानी, जनपद—नैनीताल का स्थायी निवासी हूँ।
मैं सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत समुदाय द्वारा निर्मित पेयजल योजना से कनेक्शन चाहने हेतु शपथ
पूर्वक घोषणा करता हूँ कि:—

- मैं समिति से अनुरोध करता हूँ कि मुझे पानी का कनेक्शन देने का कष्ट करें। समिति द्वारा समय—समय पर जो भी पानी का बिल तथा अन्य खर्चे जो भी समिति को देय होंगे, देता रहूँगा।
- मैं यदि समिति को देय धनराशि का भुगतान समय से नहीं कर पाता हूँ तो ऐसी स्थिति में समिति जो भी व्याज तय करेगी वह भी मुझे मान्य होगा।
- मैं देय धनराशि का भुगतान 03 माह तक न करने की स्थिति में, समिति को अधिकार होगा कि वह मेरा कनेक्शन काट सकती है। इस पर जो भी खर्च आयेगा वह मेरे से वसूल किया जाये तथा इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

प्रार्थी का नाम/हस्ताक्षर व पूरा पता

सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित पेयजल योजना में प्रशिक्षणों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से समुदाय में इस प्रकार की जागरूकता/सशक्तिकरण हुआ है कि उनके द्वारा संचालन एवं रखरखाव हेतु उपरोक्त नियमावली समिति द्वारा स्वयं बनायी गई जिसमें मुख्य रूप से समिति सदस्य द्वारा योगदान दिया गया है।

अनिल कुमार शाह

तकनीकी सलाहकार
डी.पी.एम.यू., नैनीताल